

उत्तर प्रदेश विधान सभा  
की  
सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति  
का  
**134वां प्रतिवेदन**

[ यह प्रतिवेदन उच्च शिक्षा, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, वित्त, नगर विकास, विकलांग कल्याण, राजस्व, लोक निर्माण, श्रम, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, महिला एवं बाल विकास, सिंचाई, गृह, गृह (बीजा) एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों के वर्ष 1995 से 2013 तक के उन आश्वासनों से सम्बन्धित है, जिन्हें समिति ने पूर्ण मान लिया है। ]

(दिनांक 24 फरवरी, 2016 को सदन में प्रस्तुत किया गया)



उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय  
समिति (सामान्य) अनुभाग-2

## विषय-सूची

<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ-संख्या</u>
1-सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2010-2011) के सदस्यों की सूची	... क
2-सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2012-2013) के सदस्यों की सूची	... ख
3-सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2013-2014) के सदस्यों की सूची	... ग
4-सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2014-2015) के सदस्यों की सूची	... घ
5-सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2015-2016) के सदस्यों की सूची	... ङ
6-उपस्थापन ... ..	... छ-ज
7-प्रतिवेदन ... ..	... 1-85

## सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2010-2011) के सदस्यों की सूची

क्र०-सं०	नाम	जनपद	पद
1	श्री सुरेश कुमार खन्ना	शाहजहांपुर	सभापति
2	श्री जगपाल	सहारनपुर	सदस्य
3	श्री मधुसूदन शर्मा	आगरा	सदस्य
4	पंडित आर० के० शर्मा	बरेली	सदस्य
5	श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू	सहारनपुर	सदस्य
6	श्री शीशराम	बिजनौर	सदस्य
7	श्री मो० ताबिस खान	सन्तकबीर नगर	सदस्य
8	श्री निर्मल वर्मा	सीतापुर	सदस्य
9	श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ०पी० सिंह)	सुल्तानपुर	सदस्य
10	श्री आदित्य पाण्डेय	फतेहपुर	सदस्य
11	श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा	सीतापुर	सदस्य
12	श्री आरिफ अनवर हाशिमि (गोण्डा)	बलरामपुर	सदस्य
13	श्री जोखू लाल यादव	इलाहाबाद	सदस्य
14	डा० राजेन्द्र सिंह	आगरा	सदस्य
15	श्री अनग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद	सदस्य

### विधान सभा के अधिकारीगण

1-श्री प्रदीप कुमार दुबे	प्रमुख सचिव
2-डा० नरेन्द्र कुमार	विशेष सचिव
3-श्री ज्ञान प्रकाश विश्वकर्मा	उप सचिव

नोट :-पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं०-2659/वि०स०/प०का०/16(प)/2010, दिनांक 24 सितम्बर, 2010 द्वारा समिति का गठन हुआ।

## सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2012-2013) के सदस्यों की सूची

क्र०-सं०	नाम	जनपद	पद
1	श्री सुरेश कुमार खन्ना	शाहजहांपुर	सभापति
2	श्री आलमबदी	आजमगढ़	सदस्य
3	श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू	बदायूं	सदस्य
4	श्री गोमती यादव	लखनऊ	सदस्य
5	श्री गोरख पासवान	बलिया	सदस्य
6	श्री आशीष यादव	बदायूं	सदस्य
7	श्री दीपक कुमार (उन्नाव)	उन्नाव	सदस्य
8	श्री पीतम राम	पीलीभीत	सदस्य
9	श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि	मेरठ	सदस्य
10	श्री गयाचरण दिनकर	बांदा	सदस्य
11	श्री दीपक पटेल	इलाहाबाद	सदस्य
12	श्री जय प्रकाश निषाद	गोरखपुर	सदस्य
13	श्री मनीष असीजा	फिरोजाबाद	सदस्य
14	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद	सदस्य
15	श्री दलवीर सिंह	अलीगढ़	सदस्य

### विधान सभा के अधिकारीगण

1-श्री प्रदीप कुमार दुबे	प्रमुख सचिव
2-श्री नरेश चन्द्र	विशेष सचिव
3-श्री चन्द्र पाल लाल	उप सचिव

नोट :-पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं०-1523/वि०स०/प०का०/14(प)/2012, दिनांक 24 अगस्त, 2012 द्वारा समिति का गठन हुआ।

## सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2013-2014) के सदस्यों की सूची

क्र०-सं०	नाम	जनपद	पद
1	श्री सुरेश कुमार खन्ना	शाहजहांपुर	सभापति
2	श्री मो० इरफान	मुरादाबाद	सदस्य
3	श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू	बदायूं	सदस्य
4	श्री गोमती यादव	लखनऊ	सदस्य
5	श्री गोरख पासवान	बलिया	सदस्य
6	श्री आशीष यादव	बदायूं	सदस्य
***7	श्री दीपक कुमार (उन्नाव)	उन्नाव	सदस्य
8	श्री पीतम राम	पीलीभीत	सदस्य
9	श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि	मेरठ	सदस्य
10	श्री गयाचरण दिनकर	बांदा	सदस्य
11	श्री दीपक पटेल	इलाहाबाद	सदस्य
12	श्री जय प्रकाश निषाद	गोरखपुर	सदस्य
*13	श्री बावन सिंह	गोण्डा	सदस्य
**14	श्री मनीष असीजा	फिरोजाबाद	सदस्य
*15	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद	सदस्य
16	श्री दलवीर सिंह	अलीगढ़	सदस्य

### विधान सभा के अधिकारीगण

1-श्री प्रदीप कुमार दुबे	प्रमुख सचिव
2-श्री नरेश चन्द्र	विशेष सचिव
3-श्री चन्द्र पाल लाल	संयुक्त सचिव
4-श्रीमती मधुवाला श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव
5-श्री लल्लू राम विश्वकर्मा	अनु सचिव

नोट :- पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं०-2582/वि०स०/प०का०/०७(प)/2013, दिनांक 31 जुलाई, 2013 द्वारा समिति का गठन हुआ।

\* पटल कार्यालय की अधिसूचना सं०-2714/वि०स०/प०का०/०७(प)/2013, दिनांक 29 अगस्त, 2013 द्वारा विधान सभा की लोक लेखा समिति के रिक्त पद पर श्री बावन सिंह (पूर्व सदस्य, आश्वासन समिति) को नाम-निर्देशित किये जाने के फलस्वरूप एक पद रिक्त हो गया।

\*\* पटल कार्यालय की अधिसूचना सं०-2715/वि०स०/प०का०/०७(प)/2013, दिनांक 29 अगस्त, 2013 द्वारा श्री मनीष असीजा को आश्वासन समिति के एक रिक्त पद पर सदस्य के रूप में नाम-निर्देशित किया गया।

\*\*\* पटल कार्यालय की अधिसूचना सं०-17/वि०स०/पटल/18(प)/2012, दिनांक 27 जनवरी, 2014 द्वारा श्री दीपक कुमार की मृत्यु की सूचना के फलस्वरूप दिनांक 24 जनवरी, 2014 से एक पद रिक्त हो गया।

## सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2014-2015) के सदस्यों की सूची

क्र०-सं०	नाम	जनपद	पद
1	श्री सतीश महाना	कानपुर	सभापति
2	श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि	मेरठ	सदस्य
3	श्री मो० इरफान	मुरादाबाद	सदस्य
4	श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू	बदायूं	सदस्य
5	श्री गोमती यादव	लखनऊ	सदस्य
6	श्री गोरख पासवान	बलिया	सदस्य
7	श्री आशीष यादव	बदायूं	सदस्य
8	श्री पीतम राम	पीलीभीत	सदस्य
9	श्री गयाचरण दिनकर	बांदा	सदस्य
10	श्री दीपक पटेल	इलाहाबाद	सदस्य
11	श्री जय प्रकाश निषाद	गोरखपुर	सदस्य
12	श्री मनीष असीजा	फिरोजाबाद	सदस्य
13	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद	सदस्य
* 14	श्री दलवीर सिंह	अलीगढ़	सदस्य

### विधान सभा के अधिकारीगण

1-श्री प्रदीप कुमार दुबे	प्रमुख सचिव
2-श्री नरेश चन्द्र	विशेष सचिव
3-श्रीमती मधुवाला श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव

नोट :-पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं०-2222/वि०स०/प०का०/10(प)/2014, दिनांक 25 नवम्बर, 2014 द्वारा समिति का गठन हुआ।

\* पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं०-2438/वि०स०/प०का०/10(प)/2014, दिनांक 28 नवम्बर, 2014 द्वारा श्री दलवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा को समिति में नामित किया गया।

**सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2015-2016) के सदस्यों की सूची**

क्र०-सं०	नाम	जनपद	पद
1	श्री सतीश महाना	कानपुर	सभापति
2	श्री पीतम राम	पीलीभीत	सदस्य
3	श्री मो० इरफान	मुरादाबाद	सदस्य
4	श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू	बदायूं	सदस्य
5	श्री गोमती यादव	लखनऊ	सदस्य
6	श्री रामचन्द्र चौधरी	सुल्तानपुर	सदस्य
7	श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद	सन्त कबीर नगर	सदस्य
8	श्री आशीष यादव	बदायूं	सदस्य
9	श्री गयाचरण दिनकर	बांदा	सदस्य
10	श्री दीपक पटेल	इलाहाबाद	सदस्य
11	श्री जय प्रकाश निषाद	गोरखपुर	सदस्य
12	श्री मनीष असीजा	फिरोजाबाद	सदस्य
13	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद	सदस्य
14	ठा० दलवीर सिंह	अलीगढ़	सदस्य
* 15	श्री आलमबदी	आजमगढ़	सदस्य

**विधान सभा के अधिकारीगण**

1-श्री प्रदीप कुमार दुबे	प्रमुख सचिव
2-श्री नरेश चन्द्र	विशेष सचिव
3-श्रीमती मधुबाला श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव

नोट :- पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं०-1962/वि०स०/प०का०/14(प)/2015, दिनांक 01 जुलाई, 2015 द्वारा समिति का गठन हुआ।

\* पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं०-2003/वि०स०/प०का०/10(प)/2015, दिनांक 08 जुलाई, 2015 द्वारा श्री आलमबदी, सदस्य, विधान सभा को समिति में नामित किया गया।

---

---

# उपस्थापन

---

---



## उपस्थापन

मैं, उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 134वां प्रतिवेदन जो उच्च शिक्षा, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, वित्त, नगर विकास, विकलांग कल्याण, राजस्व, लोक निर्माण, श्रम, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, महिला एवं बाल विकास, सिंचाई, गृह, गृह (बीजा) एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों से सम्बन्धित है और जिसे समिति ने अपनी दिनांक ..... की बैठक में अंगीकार किया है, प्रस्तुत करता हूँ।

इस प्रतिवेदन में उन 190 आश्वासनों की स्थिति अंकित की गयी है, जो वर्ष 1995 से 2013 तक की अवधि में शासन द्वारा सदन में समय-समय पर दिये गये थे। इन आश्वासनों पर समिति ने दिनांक 31-10-2011 से 12-08-2014 के मध्य अपनी बैठकों में विचार किया तथा शासन द्वारा आश्वासनों की पूर्ति की दिशा में की गई कार्यवाही का विश्लेषण एवं विभागीय प्रमुख सचिवों/सचिवों का साक्ष्य लेने के उपरान्त सन्तोष व्यक्त करते हुये आश्वासनों को पूर्ण माना है अथवा शासन द्वारा की गई कार्यवाही को सन्तोषजनक मानकर उन्हें जारी न रखने का निर्णय लिया है। उक्त अवधि के उन लम्बित आश्वासनों को प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया है, जिन पर शासन के उत्तर से समिति सन्तुष्ट नहीं है और उन्हें पूर्ण नहीं माना है।

समिति इस प्रतिवेदन को तैयार करने के लिये प्रमुख सचिव, विधान सभा तथा समिति से सम्बद्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करती है।

विधान भवन, लखनऊ।

दिनांक : 2015

**सतीश महाना,**

सभापति,

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति,

उत्तर प्रदेश, विधान सभा।

---

---

प्रतिवेदन

---

---

## प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 134वां प्रतिवेदन वर्ष 1995 से 2013 तक के उन आश्वासनों से सम्बन्धित है जिन पर समिति ने दिनांक 31-10-2011 से 12-08-2014 के मध्य अपनी विभिन्न बैठकों में विचार किया तथा जिनकी पूर्ति के सम्बन्ध में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर दी गयी है और जिन्हें समिति ने पूर्ण मान लिया है। उक्त सूची में उन आश्वासनों का भी उल्लेख किया गया है जिनके सम्बन्ध में शासन द्वारा कृत कार्यवाही से समिति सन्तुष्ट है और उन पर अग्रेतर कार्यवाही/विचार करना आवश्यक नहीं समझा है।

-----

आश्वासन संख्या	तिथि, प्रश्न संख्या, सदस्य का नाम तथा विषय	आश्वासन	शासन द्वारा की गई कार्यवाही
1	2	3	4
		<b>उच्च शिक्षा</b>	
1357/2001	30-5-01 : विशेष उल्लेख नियम-56 मेरठ विश्वविद्यालय के हास्टल में दो छात्राओं के साथ घटित घटना से ही सम्बन्धित छात्राओं द्वारा एफीडेविट के साथ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर ए0डी0एम0 स्तर के अधिकारी से जांच कराने के सम्बन्ध में।	जांच करा लेंगे।	दि0 30-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि प्रकरण में माननीय न्यायालय में योजित वाद में पीड़ित छात्रा एवं आरोपी छात्राओं में आपस में समझौता हो गया है। इसलिये विचारोपरान्त समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>उच्च शिक्षा-5</b>	
9/2004	10-2-04 : अतारां-20 श्री फतेह बहादुर सिंह- जनपद गोरखपुर की तहसील कैम्पियरगंज के वीर बहादुर सिंह राजकीय महाविद्यालय में वाणिज्य एवं विज्ञान वर्ग की कक्षाओं में शिक्षण कार्य हेतु अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 30-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि जनपद गोरखपुर के तहसील कैम्पियरगंज के वीर बहादुर सिंह महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय में 2 पदों के सापेक्ष 02 प्रवक्ता तथा विज्ञान संकाय में 05 पदों के सापेक्ष 05 प्रवक्ता कार्यरत हैं। समिति ने उक्त से सन्तुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		<b>उच्च शिक्षा</b>	
138/2004	21-4-04 : नियम-56 श्री राम इकबाल सिंह- समस्त शिक्षकों को उनके वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से चेक द्वारा कराया जाना।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 30-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि समस्त शिक्षकों का वेतन बैंक के माध्यम से चेक द्वारा किया जा रहा है। समिति ने उक्त से सन्तुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>उच्च शिक्षा-6</b>	
11/2005	15-2-05 : अतारां-28 डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल- जनपद गोरखपुर के महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 30-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि छात्र संघ चुनाव सम्पन्न कराये जाने को शासनादेश 21-3-2012 से प्रभावी हो गया है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>उच्च शिक्षा-1</b>	
390/2005	22-3-05 : तारां-6 डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा- संस्कृत महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को अन्य महाविद्यालयों के समकक्ष वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही करेंगे।	दि0 30 जनवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षकों को यू0जी0सी0 के अनुसार वेतन दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः उक्त से सन्तुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

### उच्च शिक्षा

123/2006	11-10-06 : नियम-56 डा0 विनोद तिवारी- जनपद पीलीभीत स्थित गन्ना कृषक महाविद्यालय पूरनपुर को मान्यता दिया जाना।	कार्यवाही की जाएगी।	दि0 30-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि दि0 13-10-2006 को शासनादेश जारी करके गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर को मान्यता प्रदान कर दी गई है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
----------	--	---------------------	---

### उच्च शिक्षा

197/2006	11-12-06 : नियम-56 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई- मेरठ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत मेरठ रोड, गाजियाबाद में आई0ए0एम0आर0 इन्स्टीट्यूट में 44 छात्रों ने इन्टीग्रेटेड एम0 टेक0 वायोटेक के पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के बाद एकेडमिक काउन्सिल द्वारा मान्यता समाप्त किया जाना।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 30-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय की सदस्यीय जांच समिति ने दि0 09-11-2006 को संस्तुति दी। तदनुसार निरीक्षण मण्डल के समस्त सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि आई0ए0एम0आर0, टुहाई, गाजियाबाद को एम0 टेक0 इन्टीग्रेटेड पाठ्यक्रम संचालित करने की विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सम्बद्धता विधिवत् है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
----------	---	-------------------------	---

1	2	3	4
---	---	---	---

### उच्च शिक्षा-5

64/2007	3-7-07 : अतारां-39 श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव- पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय कन्या महाविद्यालय को उच्चैकृत कर पोस्ट ग्रेजुएट कक्षायें प्रारम्भ किया जाना।	प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।	दि0 30-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय कन्या महाविद्यालय, लखनऊ में स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न विषयों पर कक्षायें संचालित करने हेतु पदों का सृजन कर शैक्षणिक सत्र 2009-10 से स्नातकोत्तर कक्षायें संचालित कर दी गई हैं। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
---------	---	--------------------------	--

### उच्च शिक्षा-5

192/2007	17-7-07 : अतारां-1 श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा- राजकीय महाविद्यालय महमूदाबाद, सीतापुर के भवन निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण।	कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।	दि0 30-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है और भवन निर्माण का कार्य अन्तिम चरण में है। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
----------	--	---------------------------------	--

#### उच्च शिक्षा-4

317/2007 06-11-07 : अतारां-123 विज्ञापन प्रकाशित कर दिये गये हैं।  
श्री कुलदीप सिंह सेंगर-  
छत्रपति शाहू जी महाराज  
विश्वविद्यालय, कानपुर के कैम्पस  
में स्थित इंजीनियरिंग एण्ड  
टेक्नोलाजी इंस्टीट्यूट में  
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित  
जनजाति के शिक्षकों का आरक्षण  
कोटा पूरा किया जाना।

दि0 30-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि छत्रपति शाहू जी  
महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के कैम्पस में स्थित इंजीनियरिंग  
एण्ड टेक्नोलाजी इंस्टीट्यूट में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित  
जनजाति के शिक्षकों का बैकलॉग का कोटा पूर्ण हो गया है।  
समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

#### उच्च शिक्षा-5

212/2010 16-02-2010 : अतारां-35 यथाशीघ्र तैनाती कर दी जायेगी।  
श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-  
लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र  
स्थित पं0 दीनदयाल उपाध्याय  
राजकीय कन्या स्नातकोत्तर  
महाविद्यालय में भौतिक विज्ञान  
पढ़ाने हेतु रिक्त प्रवक्ताओं की  
तैनाती के सम्बन्ध में।

दि0 30-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि दि0 11 जुलाई, 2012  
को आदेश जारी करके डा0 अखिलेश कुमार, प्रवक्ता, भौतिक  
विज्ञान की तैनाती कर दी गई है। समिति ने विचारोपरान्त  
आश्वासन को ड्राप किया।



1	2	3	4
---	---	---	---

### बेसिक शिक्षा-5

321/2000	25-04-2000 : अतारां0-131 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- प्राइमरी पाठशाला उमनपुर नोही ब्लॉक पट्टी के भवन निर्माण में गुणवत्ता की तकनीकी जांच में दोषी पाये गये प्रधानाध्यापक श्री राम बहादुर के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही गतिमान है।	दिनांक 19-09-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सम्बन्धित कर्मचारी का लगभग 2 लाख रुपये से ऊपर की धनराशि विभाग के पास रखी है तथा लगभग 8 हजार रुपये की रिक्वरी होनी है। मा0 न्यायालय में मामला होने के कारण अंतिम रूप से निर्णय नहीं हो पा रहा है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
----------	---	----------------------	---

### बेसिक शिक्षा-5

606/2000	09-05-2000 : अतारां0-174 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- प्राइमरी पाठशाला उमरपुर एवं नोही ब्लॉक पट्टी प्रतापगढ़ के भवन निर्माण की गुणवत्ता की जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही।	आदेश दे दिये गये हैं।	दिनांक 19-09-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री राम बहादुर जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी है, सेवानिवृत्त हो चुके हैं और रिक्वरी योग्य धन से ज्यादा उनका पेंशन देयक धन विभाग के पास जमा है। प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है और जो आदेश होंगे उनका अनुपालन किया जायेगा। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
----------	--	-----------------------	--

### बेसिक शिक्षा-5

715/2001 15-05-2001 : अतारों-32 शीघ्र कर दी जायेगी।  
श्री अब्दुल मन्नान-  
जनपद हरदोई विकास खण्ड  
बेहदर में प्राइमरी पाठशाला  
असवरमऊ जाहिदपुर, तरनारूछ,  
पीपरचक में छात्रों की संख्या के  
अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति  
के सम्बन्ध में।

दिनांक 19-09-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि प्राथमिक विद्यालय जाहिदपुर में वर्तमान में एक अध्यापक 2 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं तथा विद्यालय की छात्र संख्या 147 है तथा शेष विद्यालयों में भी आवश्यकतानुसार अध्यापकों की व्यवस्था कर दी गयी है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

### बेसिक शिक्षा-5

716/2001 15-05-2001 : अतारों-39 जी हों।  
श्री राम औतार शाक्य-  
जनपद मैनपुरी में ग्राम सलेमपुर  
पट्टौना ब्लॉक जागोर के प्राथमिक  
विद्यालय भवन के निर्माण कार्य  
को पूरा करने के सम्बन्ध में।

दिनांक 19-09-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी की आख्या के अनुसार वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर पट्टौना में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 06 अतिरिक्त शिक्षण कक्ष निर्मित कराकर विद्यालय भवन विधिवत् शिक्षण कार्य चला रहा है। श्री भारत सिंह पाल से रु0 24,750 वसूली करके 8 सितम्बर, 2001 को पी0एल0ए0 खाता सं0-8448 में जमा कर दिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		<b>बेसिक शिक्षा</b>	
1115/2001	23-05-2001 : बजट भाषण प्राथमिक विद्यालयों की रंगाई के लिए अगले वित्तीय वर्ष में रु0 5000/- उपलब्ध कराने के संबंध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 19-09-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों में वर्ष 2002-03 से वर्ष 2007-08 तक रु0 5000/- प्रति विद्यालय की दर से मरम्मत एवं रख-रखाव मद में धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसके अन्तर्गत विद्यालयों की रंगाई-पुताई कराई गई है। वर्ष 2008-09 में मरम्मत एवं रख-रखाव मद में प्रति परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु रु0 7500/- की दर से धनराशि उपलब्ध है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>बेसिक शिक्षा</b>	
1194/2001	25-05-2001 : नियम-51 श्री राम औतार शाक्य-मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यवाही न किये जाने की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है।	दिनांक 19-09-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वर्तमान में सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 25-7-2012 द्वारा जनपद मैनपुरी में मानक से अधिक कार्यरत शिक्षकों का समायोजन किया जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

---

### बेसिक शिक्षा-5

280/2002	27-08-2002 : तारां-3 श्री अवधेश प्रसाद- कक्षा-1 से कक्षा-8 तक पढ़ने वाले बच्चों को समान रूप से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 19-09-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि कक्षा एक से लेकर आठ तक पढ़ने वाले छात्रों को समान रूप से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण हो रहा है। इसमें लगभग 200 करोड़ रु0 का व्यय हो रहा है और लगभग 1 करोड़ 95 लाख बच्चों को लाभ मिल रहा है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को द्राप किया।
----------	---	----------------------	---

### बेसिक शिक्षा-5

281/2002	27-08-2002 : तारां0-3 श्री जगदम्बिका पाल- प्रदेश के प्राथमिक एकल पाठशालाओं में शिक्षा मित्र/प्रशिक्षित वी0टी0सी0 शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।	प्रक्रिया गतिमान है।	दिनांक 19-09-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पहले शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं और एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2015 तक सभी शिक्षा मित्र ट्रेड होकर समायोजित हो जायेंगे। इसमें जो अवशेष पद होंगे उन पर भर्ती की प्रक्रिया विचाराधीन है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को द्राप किया।
----------	---	----------------------	--

---

1	2	3	4
---	---	---	---

### बेसिक शिक्षा-5

301/2002	27-08-2002 : अतारां0-93 श्री आलोक कुमार शाक्य- जनपद मैनपुरी के प्राथमिक विद्यालयों पर इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों का स्थापित किया जाना एवं खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराया जाना।	कार्यवाही गतिमान है।	दिनांक 19-09-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मैनपुरी में 138 हैण्डपम्प लगने थे तथा खराब हैण्डपम्प ठीक होने थे, की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
----------	--	----------------------	---

### बेसिक शिक्षा-5

04/2003	04-03-2003 : तारां0-10 श्री माता प्रसाद पाण्डेय- प्रदेश के प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को दूर करने हेतु अध्यापक सेवा नियमावली में परिवर्तन पर विचार।	विचाराधीन है।	दिनांक 19-09-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि अध्यापक सेवा नियमावली परिवर्तित हो चुकी है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
---------	--	---------------	---

### बेसिक शिक्षा-5

126/2003 09-12-2003 : अतारां0-48 पूर्ति कर दी जायेगी।  
श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना-  
जनपद शाहजहांपुर के नगर क्षेत्र  
तिलहर में शिक्षा अधीक्षक के  
रिक्त पद को भरा जाना।

दिनांक 19-09-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वेतन समिति के शासनादेश दिनांक 27 अगस्त, 2012 द्वारा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र में एक ही निरीक्षण शाखा रखने का निर्णय लिया है। शिक्षा अधीक्षक के पद प्रभार वर्तमान में खण्ड शिक्षा अधिकारी तिलहर के पास है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

### बेसिक शिक्षा-5

564/2005 22-11-2005 : अतारां0-39 कार्यवाही की जायेगी।  
श्री सुरेश कुमार खन्ना-  
जनपद शाहजहांपुर के कंकराकला  
मोहल्ले में स्कूल के भवन निर्माण  
में प्राप्त शिकायत की जांच एवं  
कार्य पूर्ण किया जाना।

दिनांक 19-09-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वर्तमान में विद्यालय का निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा शैक्षिक सत्र 2011-2012 से शैक्षिक कार्य विधिवत चल रहा है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

### बेसिक शिक्षा

797/2005 11-03-2006 : नियम-51 कार्यवाही की जायेगी।  
श्री प्रमोद तिवारी-  
श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव सहायक  
बेसिक शिक्षा अधिकारी, विकास  
खण्ड सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़  
के भ्रष्टाचार की जांच कराया  
जाना।

दिनांक 19-09-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जांच अधिकारी की जांच आख्या में शिकायतकर्ता द्वारा कोई साक्ष्य अथवा प्रमाण प्रस्तुत न करने के कारण श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव के विरुद्ध लगे आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
---	---	---	---

### बेसिक शिक्षा विभाग

219/2008	05-03-2008 : नियम-51 श्री प्रमोद तिवारी- त्रिभाषा अनुदान का नियमानुसार नियमित भुगतान किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 19-09-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि शासनादेश दिनांक 07-10-2010 द्वारा मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायतित जूनियर हाई स्कूलों में त्रिभाषा सूत्र योजना के अन्तर्गत कार्यरत एक त्रिभाषा शिक्षक के वेतन भुगतान हेतु अनुदान देने की नीति को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
----------	--	----------------------	---

### माध्यमिक शिक्षा

211/1995	29-07-1995 : नियम-56 सर्वश्री रंगनाथ मिश्र, शिव प्रताप शुक्ल, श्यामदेव राय चौधरी एवं रमेशकान्त लवानियां- उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 1995 में घोषित इण्टरमीडिएट परीक्षाफल की ज्येष्ठता सूची की जांच।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 13-12-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि घोषित इण्टरमीडिएट परीक्षाफल की ज्येष्ठता सूची में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है। समिति ने संतोष व्यक्त करते हुए आश्वासन को ड्राप किया।
----------	---	----------------------	---

### माध्यमिक शिक्षा-7

321/1995	07-08-1995 : अतारां0-19 श्री चन्द्र भूषण सिंह- फर्रुखाबाद के एस0 एस0 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवानीपुर को इण्टर की मान्यता, फर्जी परीक्षाफल एवं भवन के आधार पर दिये जाने के सम्बन्ध में दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 13-12-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव द्वारा यह अवगत कराया कि श्री सी0एम0 ग्वाल का सस्पेंशन आर्डर माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। चूंकि उन्हें न्यायालय से रिलीफ मिल गयी और वे उत्तरांचल चले गये। इसलिये कोई कार्यवाही यहां के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
----------	--	----------------------	--

### माध्यमिक शिक्षा-8

388/1995	21-08-1995 : तारां0-02 श्री राम आसरे वर्मा- असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लिए जाने पर विचार।	प्रस्ताव विचाराधीन है।	दिनांक 13-12-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने यह अवगत कराया कि प्रदेश के मैदानी जिलों के मान्यता प्राप्त 125 असहायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को हाई स्कूलों की अनुदान सूची पर लिया जा चुका है। अतः समिति ने समुचित विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
----------	---	------------------------	--

### माध्यमिक शिक्षा-12

394/1995	21-08-1995 : अतारां0-46 श्री राम पाल सिंह सैनी- सैनिक स्कूल लखनऊ के प्रधानाचार्य कर्नल रमानाथ द्विवेदी के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही चल रही है।	दिनांक 13-12-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रधानाचार्य कर्नल रमानाथ द्विवेदी के विरुद्ध सारे आरोप निराधार पाये गये। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
----------	--	----------------------	--



1	2	3	4
---	---	---	---

### माध्यमिक शिक्षा-2

396/1995	21-08-1995 : अतारां0-66 श्री जगरनाथ चौधरी- सी0टी0 ग्रेड ड्राइंग कैडर की विवाहित अध्यापिकाओं का उनके पति के निवास जनपद में स्थानान्तरण किए जाने पर विचार।	मामला विचाराधीन है।	दिनांक 13-12-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि बी0टी0सी0/सी0टी0 ग्रेड तथा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के अध्यापकों को जनपदीय एवं मण्डलीय संवर्ग परिवर्तन की सुविधा कतिपय शर्तों के अधीन शासकीय पत्र सं0-3814/15-2-97-27(37)/79, दिनांक 30-09-1997 द्वारा प्रदान कर दी गयी है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
----------	--	---------------------	--

### माध्यमिक शिक्षा

398/1995	21-08-1995 : नियम-51 श्री श्यामदेव राय चौधरी- फतेहपुर जिले के छाता कस्बे में एक सिनेमाघर से हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड की कापियां तथा प्रश्न पत्रों के बरामद होने के सम्बन्ध में जांच।	जांच की जा रही है।	दिनांक 13-12-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि श्री शम्भूनाथ करवरिया, प्रधानाचार्य तथा श्री जगत नारायण करवरिया, इलाहाबाद को परिषद् के पारिश्रमिक कार्यों से 3 वर्षों के लिये (व्यवधान वर्ष को छोड़कर) वंचित किया गया। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
----------	--	--------------------	---

### माध्यमिक शिक्षा

79/1997	22-07-1997 : अतारां0-122 श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया- उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा संचालित हायर सेकेन्ड्री स्कूल विद्युतनगर अम्बेडकरनगर के प्रधानाध्यापक द्वारा किये गये गबन एवं अनियमितताओं की जांच।	जांच की जा रही है।	दिनांक 13-12-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रधानाध्यापक, अम्बेडकरनगर 4 वर्ष पूर्व रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट के 4 वर्ष बाद उनके स्तर से कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। अतः समिति ने समुचित विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
---------	---	--------------------	---

### माध्यमिक शिक्षा-9

486/1998	07-07-1998 : अतारां0-68 श्री तेजभान सिंह- जनपद रायबरेली के ज्ञानभारती उ0मा0 विद्यालय परसदेपुर के प्रबन्धक समिति को भंग कर उसके विरुद्ध जांच के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 13-12-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि पुरानी प्रबन्ध समिति का चुनाव गलत नहीं पाया गया। अब नई प्रबन्ध समिति कार्य कर रही है। इसलिये पुरानी प्रबन्ध समिति को भंग करने का अब कोई औचित्य नहीं है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
----------	--	----------------------	---

1	2	3	4
---	---	---	---

### माध्यमिक शिक्षा-9

494/1998	07-07-1998 : अतारां0-117 श्री ओम प्रकाश गुप्ता- जनपद फैजाबाद के आदर्श प्रौद्योगिक संस्कृत विद्यालय गोसाईगंज के प्राचार्य द्वारा आयु एवं जाली प्रमाण पत्रों के तहत सेवानिवृत्त अवधि के पूर्ण करने के पश्चात् लाभ प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 13-12-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्राचार्य की आयु एवं शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की जांच सचिव, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद से कराई गयी जिसमें उनकी वास्तविक जन्मतिथि दिनांक 19-01-1935 थी। उक्त अनियमितता के परिप्रेक्ष्य में श्री तिवारी के पक्ष में निर्गत पेंशन पत्र को स्थगित कर दिया गया। प्राचार्य का निधन दिनांक 14-06-2008 को हो जाने के कारण कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
----------	---	----------------------	---

### माध्यमिक शिक्षा-12

496/1998	07-07-1998 : अतारां0-149 श्री तेजभान सिंह- जनपद सुल्तानपुर के ए0एच0 इण्टर कालेज मुसाफिरखाना के प्रबन्धक द्वारा की गई अवैध नियुक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जाएगी।	दिनांक 13-12-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि जिलाधिकारी सुल्तानपुर से जांच कराई गयी जांचोपरान्त श्री मिश्रा के पेंशन से 10% की कटौती के आदेश पारित किया गया परन्तु बाद में कोर्ट से मिश्रा ने स्टे आर्डर ले लिया। समिति इस कार्यवाही से संतुष्ट होकर इस आश्वासन को पूर्ण मान लिया है।
----------	--	---------------------	---

## माध्यमिक शिक्षा-12

151/99	16-02-1999 : अतारां0-172 श्री पूर्णमासी पंकज- मा0 उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जनपद संत रविदास नगर भदोही के इ0का0 दुर्गागंगा के 7 अध्यापकों के वेतन का भुगतान।	कार्यवाही की जा रही है।	दिनांक 13-12-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि सभी शिक्षकों को नियमित वेतन का भुगतान किया जा रहा है। समिति इससे संतुष्ट होकर आश्वासन को पूर्ण मान लिया।
--------	--	-------------------------	--

## वित्त वेतन आयोग-2

93/2009	04-08-2009 : अल्प सूचित तारां0 श्री सुधीर कुमार- प्रदेश में छटे वेतन आयोग की संस्तुतियों के लागू होने के उपरान्त राजकीय कर्मचारियों एवं राजकीय शिक्षकों के वेतनमान एवं ग्रेड-पे में आये अन्तर को समाप्त किया जाना तथा समयबद्ध पदोन्नति दिये जाने सम्बन्धी आदेश जारी किया जाना।	निर्णय लिया जायेगा।	दिनांक 29-01-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि छटा वेतन आयोग लागू होने के बाद जो संस्तुतियां प्राप्त हुईं, राज्य सरकार ने समय-समय पर आवश्यक निर्णय लेकर पूर्ति कर दी गयी है। राज्य कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04-05-2010 एवं इस क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 22-12-2011 द्वारा लागू किया जा चुका है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को झाप किया।
---------	--	---------------------	---

1	2	3	4
		<b>वित्त वेतन आयोग-1</b>	
13/2010	01-02-2010 : अल्पसूचित श्री सुधीर कुमार-केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भांति राज्य कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए बोनस का भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में।	विचाराधीन है।	दिनांक 29-01-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि कर्मचारियों को माह जुलाई, 2009 से देय महंगाई भत्ते दिये जाने का शासनादेश दिनांक 15-01-2010 को निर्गत किया जा चुका है तथा उक्त अवधि का बोनस दिये जाने का शासनादेश दिनांक 26-02-2010 को निर्गत किया जा चुका है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को द्राप किया।
		<b>वित्त वेतन आयोग-2</b>	
29/2010	01-02-2010 : अतारां0-164 श्री सुधीर कुमार एवं चौ0 रवीन्द्र प्रताप-केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य कर्मचारियों को वेतनमान रु0 5000/-, 5500/- एवं 6500/- को 01-01-2006 से संशोधित करते हुए ग्रेड पे रु0 4600/- कर एरियर का भुगतान किया जाना।	कार्यवाही विचाराधीन है।	दिनांक 29-01-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि विचारोपरान्त वेतन समिति ने कर्मचारियों को 4600/- ग्रेड पे दिये जाने का शासनादेश दिनांक 16-03-2010 जारी कर दिया गया था तथा सभी पर लागू कर दिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को द्राप किया।

## वित्त वेतन आयोग-2

82/2010	08-02-2010 : तारां0-4 श्री सुधीर कुमार- प्रदेश के सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के ग्रेड-पे में संशोधन विषयक प्रकरण विचाराधीन है।	विचाराधीन है।	दिनांक 29-01-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि उ0प्र0 सचिवालय में समीक्षा अधिकारी, अनुभाग अधिकारियों के केन्द्रीय सचिवालय के समकक्ष वेतनमान देने के लिये शासनादेश दिनांक 22-12-2011 जारी कर इसका लाभ प्रदान कर दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
---------	--	---------------	--

## वित्त वेतन आयोग-2

186/2010	15-02-2010 : तारां0-11 चौ0 रवीन्द्र प्रताप- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 1800/- ग्रेड वेतन देने के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया जायेगा।	दिनांक 29-01-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 1800/- ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 06-01-2013 जारी किया जा चुका है और नई व्यवस्था में स्टेजेनेशन भी समाप्त कर दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
----------	---	---------------------	--

1	2	3	4
---	---	---	---

### वित्त वेतन आयोग-2

30/2012	05-06-2012 : अतारां0-13 श्री रघुनन्दन सिंह- सहायक समीक्षा अधिकारी वित्त वेतन आयोग-2 के शासनादेश दिनांक 27-11-2009 द्वारा नवम्बर से ग्रेड पे 2800/- के स्थान पर ग्रेड पे रुपया 4200 किये जाने के निर्णय के सम्बन्ध में।	अनुमन्य हो जायेगा।	दिनांक 29-01-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि यह व्यवस्था लागू कर दी गयी है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
---------	--	--------------------	---

### वित्त वेतन आयोग-1

99/2012	12-06-2012 : अतारां0-03 श्री दलवीर सिंह, स0वि0स0- राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रकरण विचाराधीन है।	दिनांक 29-01-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि जनवरी, 2012 से महंगाई भत्ते की किश्त के भुगतान के सम्बन्ध में दिनांक 19 जुलाई, 2012 को शासनादेश जारी किया जा चुका है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
---------	---	----------------------	---

### नगर विकास-1

424/2000

28-4-2000 : अतारां0-185

श्री अजय कुमार पोइया-  
नगर पंचायत गोवर्धन क्षेत्र के  
अध्यक्ष द्वारा कार्यरत कर्मचारियों  
के जी0पी0एफ0 निकालने के  
प्रकरण पर जांच की कार्यवाही।

जांच उप जिलाधिकारी से कराई जा रही  
है।

दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि नगर पंचायत  
वृन्दावन के कर्मचारियों के पी0एफ0 की बकाया धनराशि को  
उनके पृथक-पृथक खातों में जमा करा दी गई है तथा वर्तमान  
में कर्मचारियों के पी0एफ0 की धनराशि उनके पी0एफ0 खातों  
में नियमित रूप से जमा कराई जा रही है।

समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

### नगर विकास-7

696/2000

12-5-2000 : अतारां0-44

श्री संजय गर्ग व श्री गजेन्द्र  
कुमार मुन्ना-  
लखनऊ में कर्पूरी ठाकुर की  
प्रतिमा लगाये जाने पर विचार।

प्रतिमा लगायी जायेगी।

दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि स्व0 कर्पूरी  
ठाकुर की प्रतिमा महानगर के सेक्टर-एच पार्क में स्थापित  
करा दी गई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप  
किया।



1	2	3	4
---	---	---	---

### नगर विकास-3

703/2000	12-5-2000 : अतारां0-74 श्री सुधाकर सिंह- उ0 प्र0 जल निगम के पत्रांक-748/म0में/अ-2 दिनांक 1-7-97 के क्रम में विशेष भर्ती अभियान द्वारा अवर अभियन्ताओं के 495 सहायक अभियन्ताओं के 111 भर्ती में आरक्षण अधिनियम की धारा-3 के अनुसार रिक्तियों में विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षण का प्राविधान करते हुए चयन/नियुक्ति के निर्देश।	निर्देश दिये गये हैं।	दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि उ0 प्र0 जल निगम में अभियन्ताओं के आरक्षित श्रेणी के रिक्त पदों के बैकलाग को नियमानुसार भरा जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
----------	---	-----------------------	---

### नगर विकास-7

704/2000	12-5-2000 : अतारां0-75 श्री पीटर फैन्थम- लखनऊ नगर निगम द्वारा गृह कर के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 17-12-99 पर कार्यवाही।	जी हां।	दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि भवन सं0-28/सी0सी0-1 आदि फैन्थम आडियोरियम स्थित अशोक मार्ग से सम्बन्धित आपत्तियों का निस्तारण किया जा चुका है। निस्तारण के पश्चात भवन का वास्तविक मूल्य रु0 4,10,000. 00 निर्धारित किया गया है और भवन का गृहकर 2009-10 तक जमा है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
----------	--	---------	---

#### नगर विकास-7

848/2000 20-10-2000 : अतारां0-34 पूर्ण कराया जायेगा।  
श्री दिलीप कुमार-  
तपस्वीनगर अहिबरनपुर सीतापुर  
रोड (लखनऊ) में नाली, खड़न्जे  
के अधूरे कार्य को पूरा कराने के  
सम्बन्ध में कार्यवाही।

दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि तपस्वीनगर,  
अहिबरनपुर सीतापुर रोड की समस्त गलियों, नालियों एवं  
सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है।

समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

#### नगर विकास-5

852/2000 20-10-2000 : अतारां0-45 कार्य प्रगति पर है।  
श्री राम कुमार एडवोकेट-  
नगरपालिका उन्नाव की नाला  
मरम्मत हेतु तथा आवास विकास  
कालोनी उन्नाव की नाली एवं  
एकल मार्ग की नालियों की  
मरम्मत हेतु अवमुक्त की गई  
धनराशि से कार्य कराये जाने के  
सम्बन्ध में।

दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि नगरपालिका  
उन्नाव की नाला मरम्मत हेतु तथा आवास विकास कालोनी  
उन्नाव की नाली एवं एकल मार्ग की नालियों की मरम्मत हेतु  
अवमुक्त की गई धनराशि से कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।  
समिति उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
---	---	---	---

**नगर विकास-7**

853/2000	20-10-2000 : अतारां0-47 श्री अजय कुमार पोइया- मोहल्ला मायानगर पो0-निराला नगर लखनऊ में अवैध निर्माण हटाने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	निर्देश दे दिये गये हैं।	दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के पत्र दि0 9-10-12 के माध्यम से उपलब्ध कराई गई आख्या के अनुसार महामायानगर में शंकरपुर चौराहे से मुंशीगंज नाले तक जाने वाली खड़न्जा रोड पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
----------	--	--------------------------	---

**नगर विकास-7**

855/2000	20-10-2000 : अतारां0-58 श्री श्यामदेव राय चौधरी- वाराणसी में गोदौलिया चौराहे पर कूड़ा उठाने हेतु कन्टेनर की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।	निर्देश दे दिये गये हैं।	दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि गोदौलिया चौराहे पर नगर निगम का एक बन्द कूड़ाघर है जहां पर 24 घण्टे में लगभग 6 डम्पर कूड़ा एकत्र होता है एवं पूरे कूड़े का निस्तारण लोडर एवं डम्पर द्वारा प्रत्येक दिन रात्रि में कर दिया जाता है। वहां पर कूड़ा उठाने के लिये कन्टेनर रखने की आवश्यकता नहीं है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
----------	--	--------------------------	---

### नगर विकास-7

856/2000 20-10-2000 : अतारां0-66 निर्देश दिये गये हैं।  
श्री राम कुमार एडवोकेट-  
कानपुर नगर की नई चुंगी चौराहा  
जाजमऊ से शेखपुर जाने वाली  
सड़क को मोनानगर के पास  
गड्डामुक्त कराने के सम्बन्ध में  
कार्यवाही।

दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि उक्त सड़क  
मोनानगर के सामने कन्सोलिडेशन करके गड्डामुक्त करा दिया  
गया है। वर्तमान में नई चुंगी से एस0टी0पी0 तक की सड़क  
को बनाये जाने हेतु सड़क को पी0डब्लू0डी0 को हस्तान्तरित  
कर दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन  
को ड्राप किया।

### नगर विकास-1

858/2000 20-10-2000 : अतारां0-69 कार्यवाही की जा रही है।  
श्री अम्बरीष कुमार-  
स्थानीय निकायों में मानकों के  
अनुरूप सफाई कर्मियों की भर्ती  
के सम्बन्ध में कार्यवाही।

दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि आज की स्थिति  
में मानक के अनुसार सफाई कर्मचारी नहीं हैं जो समिति  
गठित की गई थी उसका निष्कर्ष स्पष्ट नहीं था। वर्तमान में  
जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत शहरों में सालिड वेस्ट  
स्कीम लागू कर रहे हैं। इसके रिसाइक्लिंग करके कूड़े का  
निस्तारण करते हैं।

समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन ड्राप किया कि  
विभाग इस सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार करे और कोई न कोई  
मानक निर्धारित करे ताकि छोटे नगरों और नगर पंचायतों में  
सफाई हो सके।

1	2	3	4
---	---	---	---

### नगर विकास-7

860/2000	20-10-2000 : अतारां0-73 श्री राम चन्द्र यादव- लखनऊ की इन्दिरा नगर कालोनी में आवास सं0-ए-1239 से ए-1239/2 तथा ए-1171 से ए-1171/4 के सामने पार्क हेतु छोड़ी गई भूमि पर से अवैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में।	निर्देश दिये गये हैं।	दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दि0 9-10-2012 को अतिक्रमण हटा दिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को द्राप किया।
----------	--	-----------------------	---

### नगर विकास-3

866/2000	20-10-2000 : अतारां0-93 श्री नवाब सिंह नागर- उ0 प्र0 जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर जांच एवं कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जांच में तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक श्री एच0एस0 जेटवानी पर कोई आरोप सिद्ध नहीं पाया गया और इनकी मृत्यु भी दि0 27-1-2001 को हो चुकी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को द्राप किया।
----------	---	-------------------------	--

## नगर विकास-6

866ए/2000

20-10-2000 : अतारां0-95

श्री सीताराम निषाद  
अध्यक्ष नगर पालिका परिषद्  
अयोध्या द्वारा सृजित पदों पर 28  
कर्मियों की गई नियुक्तियों एवं 5  
की पदोन्नति के सम्बन्ध में उनके  
विरुद्ध जांच की कार्यवाही।

निदेशक को निर्देश दे दिये गये हैं।

दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच लखनऊ में विचाराधीन है। कोर्ट से स्टे है और अभी स्टे वैकेट नहीं हो पाया है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

## नगर विकास (पर्यावरण-1 28-1-2011)

170/01

30-4-2001 : तारां0-1

श्री राम औतार शाक्य-  
गंगा नदी के जल प्रदूषण रोकने  
हेतु स्वच्छ शौचालयों और शवदाह  
गृहों का निर्माण कर सहायक  
नदियों के प्रदूषण को रोकने का  
प्रयास।

प्रयास किया जा रहा है।

दि0 29 अक्टूबर, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि प्रथम चरण में पांच शहरों में कुल 27 पम्पिंग स्टेशन, 9 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, 12 शौचालय, 13 शवदाह गृह तथा 8 नदी घाटों का विकास कार्य। दूसरे चरण में 216 परियोजनायें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं इनमें से 203 के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। 13 में से बिजनौर नगर की परियोजनायें ड्राप हो जाने के बाद 10 परियोजनायें निर्माणाधीन हैं। गंगा कार्य योजना मेन स्टेप में 9 नगर सम्मिलित किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा 33 परियोजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं। जिसमें से 25 परियोजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 8 परियोजनायें निर्माणाधीन हैं। गंगा कार्य योजना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गंगा नदी के तट पर स्थित 3 नगर बिजनौर, चुनार तथा अनूपशहर, 10 परियोजनायें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी हैं। जिसमें से 7 परियोजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
---	---	---	---

#### नगर विकास-5

397/2001 4-5-01 : अतारां0-26 जी हां।  
डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी,  
श्री संजय गर्ग तथा श्री गजेन्द्र  
कुमार मुन्ना-  
भू-गर्भ जल के गिरते स्तर को  
दृष्टिगत रखते हुए पेयजल हेतु  
सरफेश वाटर के उपयोग हेतु  
बनायी गई योजना को क्रियान्वित  
किये जाने के सम्बन्ध में।

दि0 29 अक्टूबर, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सरफेस वाटर की स्कीम वहीं लगाई जाती है जहां पर सरफेस वाटर उपलब्ध हो या जहां भू-जल की क्वालिटी खराब हो। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 में योजनायें स्वीकृत हुई हैं। इसे या तो रिवर से ड्रा कर रहे हैं या कैनाल से ले रहे हैं। कैनाल में रिक्लूक्शन है। इसलिये ज्यादातर सरफेस वाटर हम रिवर से ही ले रहे हैं। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

#### नगर विकास-4

424/2001 4-5-01 : अतारां0-115 आदेश दे दिये गये हैं।  
श्री विजय पाल सिंह-  
मेरठ नगर निगम के निर्माण  
विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार वित्तीय  
अनियमितताएं घोटालों की जांच  
की कार्यवाही।

दि0 29-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि कतिपय शिकायतों की जांच मण्डलायुक्त, मेरठ द्वारा कराई गई जिससे दोषी पाये गये लोगों को दण्डित किया गया। इस प्रकार से मा0 समिति ने पुनः जांच के निर्देश दिये थे, उक्त के सम्बन्ध में न्याय विभाग द्वारा दिये गये। परामर्शानुसार चूंकि उन्हें दण्डित किया जा चुका है तथा आरोप नये नहीं हैं इसलिये पुनः जांच कराना उपयुक्त नहीं होगा। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

			<b>नगर विकास-6</b>		
610/2001	11-5-01 : अतारां0-132 श्री अजय कुमार पोड़्या- नगर निगम गाजियाबाद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में।	विचाराधीन है।		दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वर्ष 2006-2007 में नियमावली में संशोधन करके पेंशन के देयकों का भुगतान कर दिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।	
			<b>नगर विकास</b>		
627/2001	11-5-01 : संकल्प ड्राई लैट्रीन को वाटर लैट्रीन में कनवर्ट करने तथा वर्ष 2000-2002 में कौशल योजना के क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।		दि0 29 अक्टूबर, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निमणि (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया जो कि 10 अप्रैल, 2002 से प्रभावी है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन के साथ ड्राप किया कि सभी नगरपालिकाओं को यह निर्देशित कर दिया जाय कि सिर के स्थान पर कमर पर मैला ढोने की व्यवस्था तत्काल रोका जाय।	
			<b>नगर विकास-</b>		
630/2001	11-5-01 : संकल्प नगरों में नीचे जा रहे जल स्तर को बचाने के सम्बन्ध में दिये गये सुझाव पर कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।		दि0 29 अक्टूबर, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जल स्तर बचाने के सम्बन्ध में आवास विकास एवं नगर विकास विभाग द्वारा पहले ही जी0ओ0 जारी कर दिये गये हैं। वर्तमान में प्रदेश में भू-जल प्रबन्धन वर्षा जल संचयन एवं भू-जल रिचार्ज हेतु समग्र नीति लागू की गई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।	



1	2	3	4
		<b>नगर विकास-6</b>	
949/2001	18-5-01 -: अतारां0-138 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना- नगर पालिका परिषद् तिलहर में सफाई नायक के रिक्त पद पर तैनाती के सम्बन्ध में।	पद भरा जायेगा।	दि0 29 अक्टूबर, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री रामस्वरूप की दि0 8-6-2001 को पदोन्नति कर दी गई है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>नगर विकास-</b>	
1002/2001	21-5-01 : विन्ध्याचल प्रयाग एवं काशी के बीच स्थित पौराणिक स्थल सीतामढ़ी के पास गंगा नदी पर प्लाटून ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 28 अक्टूबर, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पैन्टून पुल का निर्माण अक्टूबर माह में किया जाता है तथा 15 जून तक पुल का निर्माण रहता है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>नगर विकास-4</b>	
1174/2001	25-5-01 : अतारां0-58 श्री राधेश्याम जायसवाल- मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21-4-2000 के परिपेक्ष्य में श्री बाबूलाल तिवारी सेवानिवृत्त के समस्त देयों का भुगतान के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 29 अक्टूबर, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री बाबूलाल तिवारी को अनुमन्य सभी परिमाणिक लाभ निर्गत कर दिये गये हैं और भुगतान भी हो चुका है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

### नगर विकास-1

1428/2001 31-5-01 : नियम-51  
डा0 वकार अहमद शाह-  
धन प्राप्त हो जाने पर बरिहाट  
मोहल्ले में नलकूप बनाने तथा  
मो0 वसीरतगंज पम्पिंग प्लांट को  
स्थापित करके पानी की आपूर्ति  
के सम्बन्ध में।

कार्यवाही की जायेगी।

दि0 29 अक्टूबर, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मोहल्ला बरिहाट एवं मोहल्ला वशीरतगंज में एक-एक नये नलकूप, पम्पिंग प्लान्ट एवं तत्सम्बन्धी कार्य पूर्ण कर नगरवासियों को वर्ष 2003 से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करायी जा रही है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

### नगर विकास-6

88/2004 16-2-04 : अतारां0-46  
श्री अयोध्या प्रसाद पाल-  
नगरपालिका परिषद् सण्डीला  
जनपद हरदोई से सुअरों को  
बाहर निकालने के सम्बन्ध में  
कार्यवाही।

कार्यवाही की जा रही है।

दि0 29 अक्टूबर, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है और सुअरों को बाड़े में रखा जा रहा है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

### नगर विकास-8

212/2004 28-7-04 : अल्प सू0तारां0प्र0-  
डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-  
जनपद मेरठ की पशु वधशाला को  
आबादी के बाहर किया जाना।

किया जायेगा।

दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि नगर निगम मेरठ की हापुड़ रोड की आबादी के मध्य स्थित पशुवधशाला को आबादी के बाहर ग्राम घोसीपुर में स्थानान्तरित कर दिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		<b>नगर विकास-(आवास से)</b>	
418/2002	5-9-02 : बजट चर्चा- टाउन एरिया में सार्वजनिक शौचालय एवं सोलर एनर्जी की व्यवस्था।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 29 अक्टूबर, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वर्ष 2003-04 तक यह योजना लागू की गई थी जिसमें 22 शौचालयों का निर्माण विभिन्न टाउन एरिया में करा दिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>नगर विकास-</b>	
486/2004	18-11-04 : नियम-51 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी- प्रदेश के स्थानीय निकायों में सफाई कर्मियों के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिया जाना।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 29-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वर्तमान में सफाई कर्मचारियों के रिक्त होने वाले पदों पर केवल आउट सोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी। नियमित सरकारी सफाई कर्मचारी के संदर्भ में मृतक आश्रित एवं विकलांग कोटे के अन्तर्गत की जाने वाली नियुक्तियों हेतु शासन से पूर्वानुमति की आवश्यकता न होने के सम्बन्ध में नगर विकास के दिनांक 20-5-2013 के शासनादेश द्वारा व्यवस्था की गई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>नगर विकास-</b>	
491/2004	18-11-04 : नियम-51 डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर- द्वितीय राज्य वित्त, आयोग की संस्तुतियों पर कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग के अनुसार कार्यवाही कर ली गई है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

		<b>नगर विकास-5</b>	
239/2008	10-3-08 : अतारां0-99 श्री मदन चौहान- जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में पीने के पानी की आपूर्ति हेतु टंकियों का निर्माण कराया जाना।	करा दिया जायेगा।	दि0 29-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सभी टंकियों का निर्माण कार्य पूर्ण कर इसे उपयोगी बनाया जा चुका है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>नगर विकास-7</b>	
287/2008	18-8-08 : अतारां0-147 श्री मदन भैया- लखनऊ नगर की उदयगंज रोड के मध्य मोड़ प्राइमरी पाठशाला के बगल स्थिति कूड़ा पड़ाव को स्थानान्तरित किया जाना।	स्थल चयन के उपरान्त।	दि0 29-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि कूड़ा पड़ाव पूर्ण रूप से बन्द है। प्रश्नगत स्थल पर कोई कूड़ा पड़ाव न होने के कारण स्थानान्तरित नहीं किया गया है। अब पूरे क्षेत्र का कूड़ा पुराना किला स्थित कूड़ा पड़ाव पर डाला जा रहा है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>नगर विकास-5</b>	
137/2011	8-8-2011 : अतारां0-155 श्री आर0ए0 उस्मानी- जनपद लखीमपुर खीरी के टाउन एरिया सिंगाही में खराब हैण्ड पम्पों को रि-बोर कराने की मांग।	शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा।	दि0 29-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि खराब हैण्डपम्पों को रि-बोर करा लिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
			<b>नगर विकास-5</b>
82/2012	11-6-2012 : अतारां0-28 श्री रविदास मेहरोत्रा- लखनऊ नगर के माया नगर मोहल्ले में अधूरी सीवर लाइन के कार्य को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तावित है।	दि0 29-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 300 मीटर सीवर लाइन बिछाने का कार्य जून, 2013 में पूर्ण कर लिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
			<b>नगर विकास-1</b>
161/2012	18-6-2012 : अतारां0-81 श्री सुरेश कुमार खन्ना- शाहजहांपुर के कतिपय सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में।	तैयार किये जा चुके हैं।	दि0 29 अक्टूबर, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि काफी काम पूरा हो गया है लेकिन अभी कुछ काम बाकी है। वह दिसम्बर तक पूरा हो जायेगा। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
			<b>नगर विकास-7</b>
236/2012	26-11-2012 : अतारां0-84 डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल- गोरखपुर महानगर के शास्त्रीनगर शिव पार्क के उत्तर में केवटहिया गांव के रास्ते पर सड़क एवं नाली निर्माण से सम्बन्धित शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी के सम्बन्ध में।	आगणन कर लिया गया है।	दि0 29-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि कार्य स्थल पर मार्ग व नाली का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

		<b>नगर विकास-2</b>	
248/2012	26-11-2012 : अतारां0-137 श्री सुरेश कुमार खन्ना- जनपद शाहजहांपुर नगर के सुभाषनगर मोहल्ले की क्षतिग्रस्त मार्गों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में।	उपलब्धता के आधार पर मरम्मत करायी जायेगी।	दि0 29-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सुभाषनगर की 5 क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक कराया जा चुका है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि बचे हुए क्षतिग्रस्त मार्गों को पूर्ण कराकर 02 जनवरी, 2014 तक समिति को अवगत कराया जाय।
		<b>विकलांग कल्याण-2</b>	
153/99	17-2-99 : तारां0-2 श्री कृष्ण चन्द्र पुनेटा- पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य निर्धन व्यक्तियों को नौकरी के लिए पूर्ण प्रशिक्षण हेतु कोचिंग केन्द्र खोले जाने की कार्यवाही।	प्रकरण विचाराधीन है।	दि0 11 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्रीमती शकुन्तला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय में 50 प्रतिशत सीटें सिर्फ विकलांगों के लिये आरक्षित रखी गई हैं। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>विकलांग कल्याण-3</b>	
342/99	24-2-99 : अतारां0-8 श्री अम्बिका चौधरी- जनपद बलिया में वित्तीय वर्ष 1998-99 में विकलांगों को पेंशन की दूसरी किस्त वितरण किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 11 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पेंशन की दूसरी किस्त लाभार्थियों के खाते में भेज दी गई है। अतः समिति आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		<b>विकलांग कल्याण-2</b>	
343/99	24-2-99 : अतारां0-9 श्री अम्बिका चौधरी- बलिया जनपद में वित्तीय वर्ष 1998-99 के विकलांग पेंशन हेतु लम्बित आवेदन-पत्रों पर विचार।	विचार किया जायेगा।	दि0 11 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पेंशन की दूसरी किश्त लाभार्थियों के खाते में चली गई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>विकलांग कल्याण विभाग</b>	
99/2008	25-2-08 : नियम-51 श्री राधेश्याम जायसवाल- जनपद सीतापुर में विकलांगजनों के पुनर्वासन के उद्देश्य से पुनर्वास केन्द्रों को राज्य सरकार के वित्त पोषण से संचालित किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 11 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि केन्द्र सरकार द्वारा सीतापुर एवं जगदीशपुर में संचालित केन्द्रों को केन्द्र सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया और यह अपेक्षा की कि यदि प्रदेश सरकार चाहे तो उन केन्द्रों को चला सकती है। प्रदेश सरकार द्वारा इन केन्द्रों को चलाया गया तथा समस्त कर्मचारियों का समावेश कर लिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>विकलांग कल्याण-2</b>	
106/2013	8-3-2013 : अतारां0-36 श्री इन्द्रपाल सिंह- जनपद कानपुर देहात की सिकन्दरा व डेरापुर तहसीलों में विकलांगजनों की पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में।	उपलब्धता पर निर्भर करेगा।	दि0 11 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि कानपुर देहात में विकलांग पेंशन योजनान्तर्गत तहसील सिकन्दरा के 39 आवेदन-पत्र एवं तहसील डेरापुर के 45 लम्बित आवेदन-पत्र को स्वीकृत कर विकलांग पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

#### राजस्व-12

285/95

3-8-95 : अतारां0-53

कार्यवाही की जा रही है।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह-  
जनपद ललितपुर के ग्राम होमरा  
कला ब्लाक पिरचा के श्री सुजान  
सिंह बुन्देला के परिवार की  
निर्धारित सीमा से अधिक भूमि  
होने के सम्बन्ध में।

दि0 12-8-14 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि कुछ भूमि इनके  
नाम हैं और कुछ बतौर प्रबन्धक इनके पास थी जो बतौर  
प्रबन्धक इनके नाम हैं। वह सीलिंग के रूप में उनके परिवार  
के रूप में नहीं जोड़ी जा सकती। अतः समिति ने  
विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

#### राजस्व-4

223/97

31-7-97 : तारां0-4

नियुक्तियां की जायेंगी।

श्री राम औतार शाक्य-  
मैनपुरी में जिलाधिकारी कार्यालय  
के अधीन कार्यालयों में चतुर्थ  
श्रेणी के रिक्त पदों का भरा  
जाना।

दि0 12-8-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि शासनादेश दि0  
22-2-2013 के क्रम में परिषदादेश दि0 5-3-2013 द्वारा  
कलेक्ट्रेट/तहसीलों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों को नियमित  
अधिष्ठान के रूप में भरे जाने का औचित्य न पाते हुये इन  
पदों को आउट सोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने का निर्देश दिये  
गये हैं।

समिति उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।



1	2	3	4
			<b>राजस्व-8</b>
73/98	29-1-98 : अतारां0-56 श्री सौलत अली- जनपद मुरादाबाद के ग्राम लालटीकर महेशगली एहतमाली तहसील में चकबन्दी अधिकारी द्वारा चक बनाये जाने में अनियमितता।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 12-8-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोषी श्री केशव सिंह, तत्कालीन सहायक चकबन्दी अधिकारी सम्प्रति चकबन्दी अधिकारी के उक्त ग्राम में कृत अनियमितताओं के सम्बन्ध में निलम्बित कर भर्त्सना प्रविष्टि देते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
			<b>राजस्व-9</b>
82-98	29-1-98 : अतारां0-138 श्री तेजभान सिंह- जनपद सुल्तानपुर के गौरीगंज में अवैध तरीके से बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव के पट्टा करने की शिकायत के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 12-8-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि अवैध पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
			<b>राजस्व-9</b>
389/98	2-7-98 : अतारां0-39 श्री बाबूलाल कुशवाहा- जनपद बांदा की तहसील अतर्रा में कार्यरत श्री राम खेलावन कुशवाहा रजिस्ट्रार कानूनगो का निलम्बन।	निर्णय लिया जायेगा।	दि0 12-8-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि लिपिकीय त्रुटि के कारण कार्यवाही की गई थी। श्री राम खेलावन को बिना वेतन के सेवा में बहाल कर दिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

			<b>राजस्व-7</b>	
395/98	2-7-98 : अतारां0-69 श्री लाल जी वर्मा- उच्च न्यायालय की रिट याचिका दिनांक 6-5-96 के अनुसार संग्रह विभाग में संग्रह अमीनों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में।	विचाराधीन है।		दि0 1-8-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सभी 17 संग्रह अमीनों को वेतन का भुगतान कर दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
			<b>राजस्व-5</b>	
399/98	2-7-98 : अतारां0-96 श्री समरपाल सिंह- जनपद बागपत में नई तहसीलों का सृजन के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।		दि0 12-8-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि बागपत में नई तहसीलों के सृजन का औचित्य नहीं पाया। समिति ने संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
			<b>राजस्व-9</b>	
400/98	2-7-98 : अतारां0-101 श्री राम औतार शाक्य- श्री मो0 हसन खां पुत्र श्री मो0 जंग खां निवासी खैर किला छिवरामऊ जनपद कन्नौज की सम्पत्ति की अवैध तरीके से की गयी नीलामी के सम्बन्ध में कार्यवाही।	कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।		दि0 12-8-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोषी पये गये अधिकारियों व कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
---	---	---	---

**राजस्व**

404/98	2-7-98 : वक्तव्य श्री अवधेश प्रसाद व श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही- जनपद फैजाबाद की सदर तहसील के मसौदा विकास खण्ड के लगभग 70 गांवों को नवसृजित तहसील सोहावल में शामिल किये जाने से मसौदा ब्लाक के लोगों के समक्ष उत्पन्न कठिनाइयों के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 12-8-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दि0 29 सितम्बर, 2008 को अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त तहसील सोहावल की यथाथिति बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई थी। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
--------	---	----------------------	---

**राजस्व-9**

522/98	9-7-98 : अतारां0-41 श्री शिवपूजन राम- श्री राम सेवक लाल श्रीवास्तव सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार सलोन जिला रायबरेली के देयों का भुगतान।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 12-8-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री श्रीवास्तव की अनन्तिम पेंशन का भुगतान दि0 31-12-96 को किया जा चुका है। शेष देयों का भुगतान दि0 10 नवम्बर, 1998 तथा वर्ष 1999 में किया जा चुका है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
--------	---	----------------------	---

530/98	<p>9-7-98 : तारां0प्र0सं0-112, निर्देश दे दिये गये हैं। 113 श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, स0वि0स0- श्री रामयज्ञ विश्वकर्मा चकबन्दी लेखपाल तथा चकबन्दी कर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही।</p>	<b>राजस्व-8</b>	<p>दि0 12-8-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जांच में दोषी पाये गये लेखपाल श्री रामयज्ञ विश्वकर्मा को निलम्बित कर दिया गया। शेष दोषी पाये गये लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।</p>
351/07	<p>6-12-07 : अतारां0-87 मा0 नरेन्द्र सिंह वर्मा, स0वि0स0- तहसील भवन महमूदाबाद, जनपद सीतापुर की भूमि को अधिग्रहीत किया जाना।</p>	<b>राजस्व-5</b>	<p>दि0 12-8-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि तहसील भवन, महमूदाबाद के लिये भूमि अधिग्रहीत करने हेतु अधिसूचना-6 (1) 17, दि0 22 फरवरी, 2008 निर्गत की जा चुकी है और भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।</p>
310/2012	<p>29-11-2012 : अतारां0-127 श्री सुरेश कुमार खन्ना- शाहजहांपुर जनपद के सपत्नारा ग्राम में चकबन्दी का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<b>राजस्व-8</b>	<p>दि0 12-8-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि ग्राम सपत्नारा, तहसील सढा, जिला-शाहजहांपुर को चकबन्दी क्रियाओं से बाहर कर दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।</p>

1	2	3	4
---	---	---	---

### राजस्व-7

323/2012	29-11-2012 : अतारां0-153 श्री दलवीर सिंह- किसान हित में प्रदेश में लागू भू-राजस्व (लगान) को समाप्त करने विषयक मुख्य मंत्री को प्रेषित-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी।	परीक्षणाधीन है।	दि0 12-8-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि भू-राजस्व को समाप्त किये जाने से भूमि का पूर्ण स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होने के उक्त मूलभूत सिद्धान्त के प्रभावित होने से विभिन्न विधिक विसंगतियां उत्पन्न होनी सम्भावित होगी। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
----------	---	-----------------	---

### लोक निर्माण-1

1024/2001	22-5-01 : अतारां0-49 श्री कमलेश कुमार सिंह- निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर कोडरी घाट पुल को यातायात हेतु चालू किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्य पूरा होने पर।	दि0 28 मई, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पुल का काम पूर्ण हो चुका है। परन्तु अभी तक सिंचाई विभाग द्वारा सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण नहीं किया गया। समिति ने आश्वासन इस निर्देश के साथ ड्राप किया कि 15 दिन के अन्दर सिंचाई विभाग के सक्षम अधिकारियों से बैठक करके इसका निर्णय करें कि शेष कार्य कैसे एवं कितने समय में पूरा होगा।
-----------	--	---------------------	--

### लोक निर्माण-

170/2004 26-7-04 : अतारां0-79 विचाराधीन है।  
श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-  
पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से जनपद प्रतापगढ़ के कुल 15 प्रस्तावों के आगणन स्वीकृति करने के सम्बन्ध में।

दि0 28 मई, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जो कार्य होने थे उसमें से बहुत से पूर्ण हो चुके हैं और जो शेष तीन कार्य हैं उसमें से एक कार्य प्रगति पर है और कार्य पूर्ण किये जाने हेतु पैसा भी स्वीकृत किया जा चुका है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया। शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय।

### लोक निर्माण-7

229/2007 31-10-07 : अतारां0-70 स्थिति स्पष्ट करायी जा रही है।  
श्री अशोक सिंह चौहान-  
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मैनपुरी में वर्ष 2006-07 में टेके से हुए अनुबन्ध से इतर मार्गों पर धन का व्यय किये जाने पर कार्यवाही।

दि0 28 मई, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मार्गों के निर्माण में परिवर्तन नहीं किया गया है। उसमें आवंटन का व्यावर्तन हुआ है जिसके लिये दोषी सम्बन्धित अधिकारियों को परिनिन्दित करते हुए प्रशासकीय कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

### लोक निर्माण-11

3ए/2008 13-2-2008 : अतारां0-08 जी हां।  
श्री अनुग्रह नारायण सिंह-  
जनपद इलाहाबाद के फाफामऊ बाजार से लखनऊ रोड पर मिलाने वाले बसना नाले का निर्माण कराया जाना।

दि0 28 मई, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि टी0ए0सी0 जांच में गुणवत्ता में कोई कमी नहीं पाई गई। किन्तु रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण बनाई गई उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		<b>लोक निर्माण-1</b>	
40/2009	18-2-09 : तारां0-4 डा0 अनिल चौधरी- प्रदेश में सड़क नीति बनाने के सम्बन्ध में।	मार्ग नीति विचाराधीन है।	दि0 28 मई, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि प्रदेश में समाप्त सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु “उ0 प्र0 ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013” का निर्धारण शासनादेश दि0 22-11-2013 द्वारा किया जा चुका है। अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में “मार्ग विकास नीति 1998” प्रभावी है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>लोक निर्माण-7</b>	
43/2009	18-2-09 : अतारां0-2 श्री प्रदीप माथुर- वि0स0 के द्वितीय सत्र, 08 के पहले बुध के अता0प्र0सं0-80 तथा 105 के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (विकास) की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति की जांच पर कार्यवाही किया जाना।	जांच परीक्षाधीन है।	दि0 28 मई, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि एक ही व्यक्ति द्वारा दो फर्म चलाये जा रहे हैं। जो जांच में सत्य नहीं पाया गया। समिति ने विचारोपरान्त इस आश्वासन को ड्राप मान लिया है।

## लोक निर्माण-2

50/2009 18-2-09 : अतारां0-163  
चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-  
प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र में  
सड़क निर्माण हेतु किसानों की ली  
गयी भूमि के मुआवजे (प्रतिकर)  
का भुगतान के सम्बन्ध में।

कार्यवाही विचाराधीन है।

दि0 28 मई, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 82 कृषकों में से 78 कृषकों को मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। शेष 4 किसानों को सूचना दी गई लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। समिति के इस निर्देश के साथ आश्वासन ड्राप किया कि वे 4 कृषकों के मुआवजे की धनराशि उचित मद में जमा करें जिससे कृषकों के आवेदन पर उनको मुआवजे का भुगतान किया जा सके।

## लोक निर्माण विभाग

75/2009 20-2-09 : नियम-51  
श्री राम किशन-  
जनपद वाराणसी के वरुणा नदी  
पर सेतु एवं पहुंच मार्गों का  
निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना।

कार्यवाही की जायेगी।

दि0 28 मई, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि उक्त सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और पहुंच मार्ग या मिट्टी का कार्य प्रगति पर है। यह कार्य 30-6-2014 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

## पंचायती राज-3

130/2009 7-8-09 : अतारां0-127  
श्री आलोक कुमार शाक्य-  
जनपद मैनपुरी में कुसमरा व  
किटाद ब्लाक किशनी लिंक रोड  
का निर्माण पेन्टिंग स्तर तक पूर्ण  
कराया जाना।

जी हां।

दि0 28 मई, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इस मार्ग के लिये 54.26 लाख की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2013-14 में एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत शा0 दि0 21-1-2014 द्वारा प्रदान कर दी गई है। जिसे 30 जून, 2014 तक लेपन स्तर पर पूर्ण करा लिया जायेगा। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।



1	2	3	4
		<b>लोक निर्माण-1</b>	
146/2010	10-2-2010 : अतारां0-88 श्री सनातन पाण्डेय- बलिया लखनऊ मार्ग से मनुपुर फतेहपुर होते हुए कोडरा मार्ग की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 28 मई, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मार्ग में जहां-जहां मरम्मत की आवश्यकता थी वहां मरम्मत करा दी गई है। समिति ने संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>लोक निर्माण-1</b>	
163/2011	10-8-2011 : अतारां0-63 डा0 आर0 ए0 उस्मानी- जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम गुड़िया से ब्रह्मपुर तक की जर्जर सड़कों का मरम्मत कराया जाना।	पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।	दि0 28 मई, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मार्ग के मरम्मत एवं उच्चीकरण का कार्य दि0 31-3-2014 को पूर्ण किया जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>लोक निर्माण-1</b>	
55/2013	27-2-2013 : अतारां0-101 श्री बब्वन सिंह चौहान- जनपद चन्दौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भिसौरी ग्राम सभा में अम्बेडकर गेट से जमुनीपुर मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।	पूर्ण किया जाना लक्षित है।	दि0 28 मई, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि अम्बेडकर गेट से जमुनीपुर मार्ग तक इस सड़क की मरम्मत वर्ष 2013 में पूर्ण करा दी गई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

407/2000	28-4-2000 : अतारां0-55 श्री नरेन्द्र सिंह- स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्थापित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लालगंज आजमगढ़ के भवन निर्माण की व्यवस्था।	कार्यवाही की जायेगी।	<b>श्रम-6</b>	दि0 16-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि आई0टी0आई0 भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और दि0 1-9-2006 से इसमें प्रशिक्षण कार्य भी चल रहा है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
878/2000	20-10-2000 : अतारां0-136 श्री भरत सिंह- जनपद बलिया के ग्राम इब्राहिमाबाद में आई0टी0आई0 के भवन निर्माण कार्य को पूरा कराकर आई0टी0आई0 प्रशिक्षण कार्य संस्थान में शुरू किये जाने के सम्बन्ध में।	शुरू किया जायेगा।	<b>श्रम-6</b>	दि0 16-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि आई0टी0आई0 भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा दि0 1-4-2002 से इसमें प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ हो गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
447/2001	4-5-01 : अतारां0-171 श्री जगदीश नारायण राय- आई0टी0आई0 कालेज जौनपुर में कम्प्यूटर ट्रेड खोले जाने के सम्बन्ध में।	विचार किया जायेगा।	<b>श्रम-6</b>	दि0 16-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि परिव्यय प्राप्त हो गया है और कम्प्यूटर ट्रेड से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		<b>श्रम-6</b>	
575/2001	11-5-01: तारां0-12 श्री उदयरज यादव- शासनादेश सं0-ई-8-215/10- 1998-648/1994 दिनांक 9-3-98 के व्यवस्थाओं द्वारा ही निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।	सम्पादित कराये जायेंगे।	दि0 16-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वित्त विभाग का शासनादेश 9 मार्च, 1988 का था जो वर्ष 2006 में संशोधित हुआ, में यह था कि 125 लाख तक के सभी निर्माण कार्य किसी भी निर्माण एजेन्सी द्वारा कराये जा सकते हैं। जो तीन भवनों का निर्माण कार्य जल निगम को सौंपा गया था वह सभी 125 लाख रुपये से कम (105 लाख रुपये) के थे। इसलिये निर्माण कार्य जल निगम दिये जाने में कोई अनियमितता नहीं की। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>श्रम-6</b>	
920/2001	18-5-01 : अतारां0-60 श्री राजेन्द्र यादव- वर्ष 2001-2002 में अतिथि वक्ता रखे जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	विचार किया जा रहा है।	दि0 16-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वर्ष 2001-02 में 30-5-2001 के शासनादेश द्वारा योजना प्रारम्भ की और 30 जून, 2002 तक इसे चलाया गया। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>श्रम-6</b>	
952/2001	18-5-01 : अतारां0-152 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- आई0 टी0 आई0 पट्टी में भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	प्रयास किया जा रहा है।	दि0 16-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पट्टी के भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि प्राप्त कर ली गई है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

		<b>श्रम-6</b>	
1498/2001	28-9-01 : अतारां0-22 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- आई0टी0आई0 पट्टी प्रतापगढ़ के भवन निर्माण के सम्बन्ध में।	प्राविधान कराया जा रहा है।	दि0 16-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पट्टी, प्रतापगढ़ का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है जिसमें वर्तमान में प्रशिक्षण कार्य संचालित है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>श्रम-6</b>	
1512/2001	28-9-01 : अतारां0-102 श्री राम नरेश यादव- आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र फूलपुर में पलियां गांव में निर्माणाधीन आई0टी0आई0 भवन का निर्माण कार्य नवम्बर, 2001 तक पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।	पूर्ण होने की सम्भावना है।	दि0 16-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इस भवन का 145.56 लाख से निर्माण कराकर दि0 8-5-2003 को हस्तान्तरण कर लिया गया है तथा वर्ष 2005-06 से प्रशिक्षण का कार्य इसी भवन में प्रारम्भ हो गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार</b>	
44/2004	12-2-04 : अतारां0-15 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना- वर्ष 2002-2003 में मण्डी परिषद् के निर्माण खण्ड शाहजहांपुर में निर्मित 21 अम्बेडकर ग्राम सम्पर्क मार्गों में हुयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच।	समिति का गठन किया गया है।	दि0 9-1-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जितने भी अभियन्तागण दोषी पाये गये थे उन सभी के विरुद्ध विभाग की ओर से कार्यवाही कर ली गई है। श्री राम सुन्दर व श्री सोम प्रकाश, अवर अभियन्ताओं के मामले में माननीय लोक सेवा अभिकरण के निर्णय के बाद कार्यवाही हो सकेगी। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		<b>कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार-1</b>	
292/2010	12-8-2010 : अतारां0-140 श्री प्रदीप माथुर- उप निदेशक मण्डी समिति आगरा तथा सचिव मण्डी परिषद् मथुरा द्वारा वृन्दावन में फूल एवं अनाज की मण्डी/उपमण्डी निर्माण में रुचि न लिये जाने की जांच विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-1236 दिनांक 14-9-2009 पर बिन्दुवार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	निर्देश दिये गये हैं।	दि0 9-1-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद मथुरा में उप मण्डी के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध हो गई तथा दि0 1-1-2014 से कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा दि0 31-10-2014 तक कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार-1</b>	
20/2012	31-5-2012 : अतारां0-19 श्री पूरन प्रकाश- प्रदेश में उप कृषि उत्पादन मण्डी स्थल के निर्माण का प्रस्ताव।	निर्माण करा दिया जायेगा।	दि0 9-1-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि माह नवम्बर, 2013 तक 229 एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब का निर्माण करार 212 एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब क्रियाशील कराये जा चुके हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 133 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 234 मार्केटिंग हब्स की स्वीकृति यू0पी0 के लिये है जिसमें से 214 मार्केटिंग हब्स कार्यान्वित हो गये हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्त तक कुल 753 एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब का निर्माण कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। समिति ने आश्वासन को इस निर्देश के साथ ड्राप किया कि सरकार पूरी शिथिलता के साथ किसानों की पैदावार की मार्केटिंग के बारे में चिन्ता करें।

### कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार-1

296/2012	29-11-2012 : अतारां0-15 श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य- जनपद शाहजहांपुर की नगर पंचायत अल्हागंज में उपमण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।	नियमानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना सम्भव हो सकेगा।	दि0 9-1-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि उप मण्डी स्थल हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई इसलिये उसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब बनाने की योजना है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
----------	--	---	--

### कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार-1

312/2012	29-11-2012 : अतारां0-129 श्री कमाल यूसुफ मलिक- जनपद सिद्धार्थनगर के वि0स0 क्षेत्र डुमरियागंज के कुछ गांवों में सी0सी0 रोड नाली निर्माण योजना विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी।	अनुरोध जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर से किया गया।	दि0 9-1-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि टेमुआ उर्फ देवरुआ, कुसम्ही एवं यूसुफजोत में सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति रु0 116.62 निर्गत की जा चुकी है। यह कार्य 1-5-2014 तक पूर्ण हो जायेगा। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
----------	---	--	---

### कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार-1

98/2013	7-3-2013 : अतारां0-51 श्री बाला प्रसाद अवस्थी- लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा में उप कृषि मण्डी की स्थापना के सम्बन्ध में।	एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब की स्थापना की जानी प्रस्तावित है।	दि0 9-1-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि उप कृषि मण्डी की स्थापना हेतु पैसा स्वीकृत हो चुका है। जून, 2014 तक कार्य पूर्ण हो जायेगा। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
---------	--	--	--

1	2	3	4
		<b>कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार-1</b>	
205/2013	21-3-2013 : अतारां0-23 श्री दलवीर सिंह- जनपद अलीगढ़ के ग्राम पिसावां के मजरा ग्राम मदरखेड़ा में सी0सी0 रोड व नाली निर्माण के सम्बन्ध में।	विचार किया जायेगा।	दि0 9-1-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सी0सी0 रोड नाली के निर्माण हेतु जनेश्वर मिश्र योजना में 39.99 लाख की स्वीकृति निर्गत कर दी गई है। 31 मई, 2014 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>महिला एवं बाल विकास-1</b>	
198/2007	17-7-2007 : अतारां0-11 श्री कृपा शंकर सिंह, स0वि0स0- तत्कालीन जिलाधिकारी कानपुर देहात का श्रीमती ऊषा तिवारी जिला प्रोवेशन अधिकारी कानपुर देहात के विरुद्ध 4714.75 की वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही विषयक शिकायती-पत्र पर कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 12-2-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि श्रीमती ऊषा तिवारी जिला प्रोवेशन अधिकारी के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

<b>महिला एवं बाल विकास-1</b>		
65/2009	19-2-09 : अतारां0-81 श्री सुरेश कुमार खन्ना- बालकों के अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में एक आयोग के गठन के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना।	विचाराधीन है।  दि0 12-2-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के गठन की अधिसूचना सं0-6069/60-1-13-1/13 (92)/06, दि0 29-11-2013 निर्गत की जा चुकी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
<b>महिला एवं बाल विकास-2</b>		
26/2012	5-6-12 : भाषण अंश सुश्री सावित्री बाई फूले- जनपद बहराइच के बिल्हा ब्लॉक में खाद्यान्न को बाजारों में बेचा जाना की शिकायत पर कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।  दि0 12-2-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि शिकायत की जिलाधिकारी बहराइच द्वारा जांच कराई गई। जांच आख में अवगत कराया गया कि पोषाहार का वितरण मानक के अनुरूप किया जा रहा है तथा खाद्यान्न की बिक्री होने की पुष्टि नहीं की गई। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
<b>महिला एवं बाल विकास-2</b>		
98/2012	12-6-2012 : अतारां0-2 श्री बाला प्रसाद अवस्थी- जनपद खीरी के कतिपय विकास खण्डों में वितरित पौष्टिक आहार की उच्च स्तरीय जांच किये जाने के सम्बन्ध में।	वितरण सुनिश्चित करायें।  दि0 12-2-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि लखीमपुर खीरी के दो ब्लॉकों की जांच डी0पी0ओ0 तथा बी0डी0ओ0 की संयुक्त टीम से कराई गई। जिसमें पोषाहार खाने से किसी भी बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने अथवा बीमार पड़ने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।



1	2	3	4
		<b>महिला एवं बाल विकास-1</b>	
253/2012	26-11-2012 : अतारां0-162 श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप- जनपद बहराइच के विकास खण्ड जरवल में पात्र एवं अर्ह निराश्रित महिलाओं के पेंशन दिये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही जानकारी के सम्बन्ध में।	आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये।	दि0 12-2-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2012-2013 मे 5 निराश्रित महिलाओं को पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>महिला एवं बाल विकास-2</b>	
275/2012	27-11-2012 : अतारां0-98 श्री जाकिर अली- जनपद गाजियाबाद में कुपोषण से ग्रसित बच्चों की जानकारी कुपोषण से निपटने के लिये सरकार की कार्य योजना तथा उसके प्रारूप की जानकारी।	कार्यवाही गतिमान है।	दि0 12-2-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य पोषण मिशन का गठन हो गया है। वित्त विभाग से 28 पदों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि एक्शन टेकेन रिपोर्ट से समिति को 6 माह में अवगत करायें।

### सिंचाई-3

815/98

22-7-98 : अतारां0-8

कार्यवाही की जायेगी।

श्री जय प्रताप सिंह-  
जनपद सिद्धार्थनगर में ड्रेनेपा  
खण्ड तथा सिंचाई निर्माण खण्ड  
के तटबांध हेतु ली गई भूमि के  
मुआवजे का भुगतान।

दि0 31-10-2011 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 64 किसानों में से 45 किसानों को भुगतान किया जा चुका है। शेष 19 में से 14 कृषक मुआवजा लेने के लिये उपलब्ध हो गये तथा उन्हें भुगतान भी कर दिया गया है। अवशेष 5 किसानों में से 2 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। जिनके वारिसों को वारिस प्रमाण-पत्र दाखिल होने या मुआवजे की धनराशि दे दी जायेगी। 3 किसान बाहर हैं। वापस आने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

### सिंचाई-4

365/99

24-2-99 : अतारां0-98

कार्य कराया जायेगा।

श्री भरत सिंह-  
बलिया के विधान सभा क्षेत्र द्वावा  
में यदुबे छपरा टैगरही बांध के  
अधूरे निर्माण कार्य को पूरा किये  
जाने के सम्बन्ध में।

दि0 11-2-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दुबे छपरा टैगरही बांध के कि0मी0 1.900 से किमी0 4.800 के मध्य भूमि उपलब्ध है जिस पर कार्य कराया जा रहा है। सं0-342.58 लाख का आवंटन किया गया है तथा शेष कार्य भूमि अधिग्रहण के उपरान्त कराया जायेगा। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
			<b>सिंचाई-4</b>
656/99	10-3-99 : अतारां0-127 श्री रामधर सिंह- लहचुरा बांध हमीरपुर के निर्माण कार्य को पूरा करने के सम्बन्ध में।	कराना सम्भव होगा।	दि0 11 जनवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं हुआ। राज्य सरकार ने इस परियोजना के पूर्ण करने के लिये 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव रखा है। यह परियोजना अगले वर्ष तक पूरी हो जायेगी। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
			<b>सिंचाई-3</b>
662/99	10-3-99 : अतारां0-150 श्री समरपाल सिंह- पारा-शहरोज ख्वाजा जहांपुर बांध के निर्माण कार्य को पूरा कराने तथा उक्त बांध के निर्माण में ली गई भूमि के मुआवजे का भुगतान।	कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।	दि0 31-10-2011 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि कुल 729 कृषकों में से 722 कृषकों का भुगतान कर दिया गया है। शेष 9 कृषकों को भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है। समिति ने आश्वासन को इस निर्देश के साथ को ड्राप किया कि विभाग शेष बचे कृषकों से व्यक्तिगत सम्पर्क करके यह सूचित करे कि वह अपना भुगतान ले ले।
			<b>सिंचाई-</b>
929/99	17-3-99 : वक्तव्य श्री अजय कुमार पोइया- गोवर्धन क्षेत्र के अन्तर्गत किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 31-10-2011 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दीवार के अवशेष निर्माण का कार्य पूरा करा दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

### सिंचाई-

972-99

18-3-99 : वक्तव्य

कार्यवाही की जायेगी।

श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल-  
गोरखपुर में बंधे के निर्माण हेतु  
अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के  
भुगतान के सम्बन्ध में।

दि0 11-2-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि कुल 2674  
कृषकों में से 2477 कृषकों को भू-प्रतिकर के मुआवजे का  
भुगतान वितरित किया जा चुका है। 197 कृषकों को मुआवजे  
का भुगतान किया जाना है। 32 कृषकों को भुगतान दिया  
गया। शेष कृषकों में से कुछ दिवंगत हो गये। कुछ लोग  
मुआवजा कम होने के वजह से लेने नहीं आये।

समिति ने आश्वासन को इस निर्देश के साथ द्राप किया  
कि यह धनराशि ऐसे कोष में जमा की जाय जब भी काश्तकार  
चाहे वह अपनी धनराशि प्राप्त कर सके।

### सिंचाई-

1086/99

22-3-99 : नियम-56

कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम विशुन आजाद-  
सरयू नहर परियोजना में ली गई  
खेतिहर भूमि की मालियत के  
अनुसार मुआवजा का भुगतान  
करने के सम्बन्ध में।

दि0 31-10-2011 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जो जमीन  
अधिग्रहीत की गई है इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं  
किया गया है। जमीन के प्रतिकर के भुगतान के साथ ही  
रजिस्ट्री किसानों द्वारा करा दी गई है। समिति ने उक्त से  
संतुष्ट होकर आश्वासन को द्राप किया।

1	2	3	4
		<b>सिंचाई-5</b>	
1189/99	24-3-99 : अतारां0-138 श्री नवाब सिंह नागर- जनपद गौतमबुद्ध नगर में आकूदपुर पुल के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में।	धन की उपलब्धता पर निर्भर है।	दि0 11-2-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि आवंटित कार्य पूर्ण हो चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>सिंचाई-4</b>	
1219/99	13-7-99 : अल्पसू0 प्रश्न- श्री केशो मेहरा- नहर से पानी दिये बिना सिंचाई शुल्क वसूले जाने तथा बलिया को नहर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 31-10-2011 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सोहावल में बढरपुर-बैरावां माइनर में पानी बराबर पहुंच रहा है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>सिंचाई-4</b>	
1290/99	14-7-99 : अतारां0-36 श्री रामाधार सिंह- महोबा में नवीन महचूरा बांध के निर्माण को पूरा कराने के सम्बन्ध में।	प्रस्तावित है।	दि0 11-2-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में मा0 मुख्य मंत्री जी का निर्णय हो चुका है कि इस बांध को स्टेट सेक्टर से बनवाया जायेगा। समिति ने इस अपेक्षा के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि इस सम्बन्ध में प्रयास करके कार्य कराये।

1481/99	5-1-2000 : अतारां0-146 श्री अजय भट्ट एडवोकेट- शासनादेश सं0-2692/ कार्मिक-2/99 (2)/97 दिनांक 17-7-99 द्वारा नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध होने के बाद भी सिंचाई विभाग में की गई नियुक्तियों की जांच।	आख्या प्रतीक्षित है।	<b>सिंचाई-7</b>	दि0 11-2-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि अनियमितता के सम्बन्ध में हुई जांच में शुरुआत में जिन 13 अधिकारियों को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही प्रचलित की गई है। उनमें सभी के विरुद्ध कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
36/2000	29-3-2000 : अतारां0-1 श्री रामेश्वर दयाल बालमीकि- सिंचाई विभाग समूह ग में अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने हेतु चयन प्रक्रिया।	प्रक्रिया प्रगति में है।	<b>सिंचाई-7</b>	दि0 31-10-2011 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सभी पद भर दिये गये हैं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कोटा भी पूर्ण कर दिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
960/2001	18-5-01 : बजट चर्चा शारदा सहायक से पूरे वर्ष किसानों को पानी देने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	<b>सिंचाई-</b>	दि0 31-10-2011 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि रबी में सिल्ट सफाई कार्य हेतु एक माह तथा रबी की सींच के उपरान्त नहरों में आवश्यक मरम्मत हेतु लगभग 1 माह की अवधि हेतु बन्द किया जाता है। वर्ष की शेष अवधि में शारदा सहायक नहर से किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाता है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
			<b>सिंचाई-5</b>
494/2000	3-5-2000 : अतारां0-36 श्री राम पाल- जनपद जालौन के नलकूप खण्ड प्रथम उरई में की गई अनियमितताओं एवं फर्जी भुगतान की जांच।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 11-2-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जांच में दोषी पाये गये लोगों के खिलाफ कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
			<b>सिंचाई-9</b>
506/2000	3-5-2000 : अतारां0-108 श्री अजय भट्ट- सिंचाई विभाग के 92 खण्डों द्वारा मार्च, 1997 का लेखा निर्धारित समय के भीतर महालेखाकार को उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही।	विचार किया जायेगा।	दि0 11-2-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इसमें 106 खण्डों को प्रकरण भेजना था, 106 खण्डों में से 15 खण्डों के अधिकारी सेवानिवृत्त हो गये, 1 अधिकारी की मृत्यु हो गई। 90 खण्डों में से 34 अधिकारियों ने अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया, 56 खण्डों के अधिशासी अभियन्ता में से 4 अधिशासी अभियन्ता के स्पष्टीकरण संतोषजनक पाये गये। शेष 52 खण्डों के अधिशासी अभियन्ताओं के विरुद्ध चरित्र पंजिका में कठोर चेतावनी अंकित कर दी गई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

### सिंचाई-5

519/2000

3-5-2000 : अतारां0-150

कार्यवाही की जा रही है।

श्री उवैदुरहमान-  
जनपद बलरामपुर के विकास  
खण्ड उतरौला श्री दत्तगंज  
गैडासबुजुर्ग में नलकूपों की  
नालियों के निर्माण में मानक के  
अनुरूप कार्य न कराये जाने के  
सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्रों  
दिनांक 12-11-99 के आधार पर  
जांच की कार्यवाही।

दि0 11-2-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इसमें सभी दोषी  
अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हो गई है। तीनों अवर  
अभियन्ताओं से शासकीय क्षति की वसूली कर ली गई है।  
समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

### सिंचाई-10

524/2000

3-5-2000 : अतारां0-192

नामित किया गया है।

श्री बाबूराम यादव-  
आगरा मण्डल में बहुसंख्यक  
नलकूप फेल होने के सम्बन्ध में  
मुख्य अभियन्ता पश्चिम के विरुद्ध  
प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक  
28-10-99 के शिकायती-पत्र में  
उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच।

दि0 11-2-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जांच रिपोर्ट में  
श्री आर0पी0 गुप्ता प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये जो दि0  
31-10-2000 को सेवानिवृत्त हो गये। बाकी दोषी पाये गये  
ए0ई0 और जे0ई0 के खिलाफ कार्यवाही हो गई है।

समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।



1	2	3	4
---	---	---	---

### सिंचाई-3

88-2001	24-4-01 : अतारां0-22 श्री समरपाल सिंह- जनपद मऊ इंदारा रजवाहा रिमाडलिंग एवं पारा सहरोज ख्वाजा जहांपुर बांध के निर्माण में किसानों की ली गई भूमि के प्रतिकर का मुआवजा।	धन की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।	दि0 11-2-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि कुल 678 कृषकों में से 578 को मुआवजा दे दिया गया है। 100 कृषक बाकी हैं। उनमें से 53 घर से दूर रहते हैं तथा 47 कृषकों की धनराशि 500 से कम होने के कारण रजिस्ट्री कराने नहीं आये हैं। अवशेष धनराशि को ट्रेजरी में रिमीटेन्स कर दिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
---------	--	---	---

### सिंचाई-4

215/2001	1-5-01 : अतारां0-4 श्री फरीद महफूज किदवई- ड्रेनेज खण्ड संतकवीर नगर के मुखेलिसपुर पम्प कैनाल के दुबौलिया माइनर पर पुलिया का निर्माण।	जी हों।	दि0 11-2-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि विकास खण्ड नाथनगर के माध्यम से 02 मीटर की पुलिया का निर्माण करा दिया गया है। इसलिये दुबौलिया माइनर के किमी0 0.300 पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता नहीं है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
----------	--	---------	--

### सिंचाई-6

223/2001

1-5-01 : अतारां0-24

जांच की जा रही है।

श्री उवैदुरहमान-  
जनपद बलरामपुर की विधान  
सभा के विकास खण्ड श्रीदत्तगंज  
उतरौला, गैदास बुजुर्ग में नलकूप  
विभाग द्वारा वर्ष 98-99 में नाली  
के निर्माण में मानक व गुणवत्ता  
के अनुसार कार्य न कराने की  
जांच।

दि0 11-2-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि टी0ए0सी0 से  
प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार एक अधिशासी अभियन्ता को  
परिनिन्दित दो अधिशासी अभियन्ता का परिनिन्दित के  
साथ-साथ वेतनवृत्ति रोकने तथा तीन अवर अभियन्ताओं को  
परिनिन्दा प्रविष्टि के साथ शासकीय क्षति की वसूली भी कर  
ली गई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

### सिंचाई-

964/2001

18-5-01 : बजट भाषण

कार्यवाही की जा रही है।

नलकूप व्यवस्था को सुधारने के  
सम्बन्ध में।

दि0 31-10-2011 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि राजकीय नलकूप,  
परिसम्पत्तियों एवं नलकूप चालकों/अंशकालीन नलकूप चालकों  
सहित, पंचायती राज विभाग से सिंचाई विभाग में पुनः  
हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया जिसके फलस्वरूप  
दिनांक 1-4-2007 से राजकीय नलकूपों का सिंचाई विभाग  
द्वारा संचालन किया जा रहा है। समिति ने विचारोपरान्त  
आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
194-2002	20-8-02 : अतारां0-123 श्री बीजू पटनायक- विधान सभा क्षेत्र सादात जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत बहागांव से खरारी बन्द नाला की सफाई के सम्बन्ध में।	प्रस्तावित है।	<p style="text-align: center;"><b>सिंचाई-5</b></p> <p>दि0 11-2-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इसमें बी0आर0बी0 हो गया है और सफाई का कार्य पूरा हो गया है। डी0आर0बी0 नहीं बना है। वर्तमान में ड्रेन में कोई समस्या नहीं है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।</p>
200/2002	20-8-02 : अतारां0-159 श्री विशम्भर प्रसाद निषाद- जनपद बांदा में वर्ष 2000-02 में केन कैनाल बांदा द्वारा अतर्रा ब्रांच नरेनी रजवहा आदि में मिट्टी सफाई कार्य में अनियमितता एवं अधूरे कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।	जी हां।	<p style="text-align: center;"><b>सिंचाई-4</b></p> <p>दि0 11-2-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि शासन द्वारा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र गठित कर निलम्बन/दण्डात्मक कार्यवाही की जा चुकी है। अतर्रा ब्रांच के नरैनी राजवाहा आदि के अधूरे कार्यों को केन नहर पुनरोद्धार एवं विशेष मद में प्राप्त हुए धन से पूर्ण कराया जा चुका है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।</p>

		<b>सिंचाई-</b>	
99/2004	16-2-04 : नियम-51 श्री जगदीश नारायण राय- प्रदेश में ट्यूबवेलों हेतु बनी क्षतिग्रस्त नालियां, अथूरी नालियां तथा विश्व बैंक के द्वारा निर्मित ट्यूबवेलों की नालियां बनाने तथा विद्युत दोष से बन्द नलकूपों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 31-10-2011 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दि0 7-2-2004 को विद्युत दोष से बन्द 14 नलकूप तथा यांत्रिक दोष से बन्द 13 नलकूपों को उसी समय चालू करा दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

		<b>सिंचाई-4</b>	
733/2005	28-2-06 : तारां0-1 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई- पूर्वी यमुना नहर (लोअर डिवीजन) के रजबहों में टेल तक पानी न पहुंचाने एवं शुल्क की नोटिस जारी किये जाने की जांच।	जांच करायी जायेगी।	दि0 11-2-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि कुल राजवाहे/अल्पिकाओं में 73 नहरें कार्यशील थी तथा उनकी टेलों में पानी पहुंचाया गया। ऐसे किसी प्रकरण की पुष्टि अभिलेखों से नहीं होती कि बिना पानी दिये सींचकर नोटिस जारी किया गया है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा सींचकर माफ कर दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
---	---	---	---

### सिंचाई-5

69/2007	4-7-07 : अतारां0-18 श्री विशम्भर प्रसाद निषाद- झांसी एवं चित्रकूट धाम मण्डलों में राजकीय नलकूप लगाये जाने की कार्यवाही किया जाना।	लगाया जाना प्रस्तावित है।	दि0 11-2-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2007-08 में राजस्व मण्डल झांसी में 12 की जगह 13 तथा राजस्व मण्डल चित्रकूट धाम के 74 के सापेक्ष 80 राजकीय नलकूप लगाये गये। समिति ने आश्वासन इस निर्देश के साथ को ड्राप किया कि जिलाधिकारी 1 महीने में परीक्षण कराकर आख्या प्राप्त कर ले कि सभी ट्यूबवेल फंक्शनल हैं।
---------	---	---------------------------	---

### सिंचाई-9

349/2012	5-12-2012 : अतारां0-57 डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल- गोरखपुर महानगर में स्थित राजेन्द्र नगर कालोनी के पूर्वी छोर पर सिंचाई विभाग की कालोनी की समस्याओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही।	निर्देशित कर दिया गया है।	दि0 11-2-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर की कालोनी की टूटी हुई बाउन्ड्रीवाल का निर्माण मासान्त 09/2013 में पूर्ण करा लिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
----------	--	---------------------------	--

#### सिंचाई-4

157/2013	13-3-2013 : अतारां0-148 श्री सुरेश कुमार खन्ना- जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम बिलरिया में नहर पर पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जाती है।	दि0 11-2-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि नहर पर पुलिया निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
436/2000	1-5-2000 : अतारां0-28 श्री विजय पाल सिंह- दिग्ने ग्राम (आगरा) के पास घायल अवस्था में पड़ी मिली कमलेश पत्नी रमेश (मृतका) के प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी।	निर्देश दिये जा चुके हैं।	दि0 31-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि अभियुक्त अमर सिंह को धारा-83 द0प्र0स0 के अन्तर्गत कार्यवाही कर आरोप-पत्र माननीय न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया है। हाजिर न होने के कारण उनको फरार मानते हुए गिरफ्तारी का वारण्ट निर्गत किया गया है और उस पर इनाम घोषित कर दिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
560/2000	8-5-2000 : अतारां0-3 श्री विजय पाल सिंह- आगरा के थाना ताजगंज के अन्तर्गत दिनांक 7-3-2000 को लहूलुहान दशा में पाई गई मिथलेश नामक युवती और उसके मृत्यु के पूर्व दिये बयान के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त अमर सिंह एवं उसके सम्बन्धी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।	प्रयास जारी है।	इस आश्वासन की प्रकृति 436/2000 एक ही प्रकार का है। अतः इस आश्वासन को समिति ने ड्राप किया।

#### गृह (पुलिस)-12

#### गृह (पुलिस)-12

1	2	3	4
747/2000	15-5-2000 : अतारां0-42 श्री लालजी वर्मा- जनपद अम्बेडकर नगर में लम्बित शस्त्र लाइसेन्स आवेदन-पत्रों का निस्तारण।	निर्देश दिये गये हैं। <b>गृह (पुलिस)-5</b>	दि0 31-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि जिला मजिस्ट्रेट अम्बेडकर नगर द्वारा 6-1-2014 के पत्र द्वारा अवगत कराया गया कि तत्समय प्रेषित सूचना के सापेक्ष सभी 250 शस्त्र लाइसेन्सों के प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
748/2000	15-5-2000 : अतारां0-43 श्री राम औतार शाक्य- धाना कोतवाली मैनपुरी में दर्ज अ0सं0-967/99 धारा-302 आई0पी0सी0 केस की विवेचना।	परीक्षण किया जा रहा है। <b>गृह (पुलिस)-12</b>	दि0 31-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि इसमें कुल मिलाकर 4 लोगों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किये गये हैं। इसमें से एक अभियुक्त अभी फरार चल रहा है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
750/2000	15-5-2000 : अतारां0-49 श्री दिलीप कुमार- दहेज उत्पीड़न के सम्बन्ध में जिलाधिकारी हरदोई को रिपोर्ट लिखकर मुल्जिमानों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री बब्लू के पत्र दिनांक 26-4-2000 पर कार्यवाही।	विवेचना प्रचलित है। <b>गृह (पुलिस)-4</b>	दि0 31-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप-पत्र दि0 16-5-2000 को मा0 न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया था। दौरान ट्रायल मुकदमा वादनी तथा अभियुक्त जो दोनों पति-पत्नी है, उनके द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष आपस में सुलह-समझौता कर लिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

			<b>गृह (पुलिस)</b>		
889/2000	20-10-2000 : नियम-56 श्री मुख्तार अंसारी- दिनांक 7 अक्टूबर, 2000 को मऊ में दुर्गा जी की मूर्ति के विसर्जन के समय घटित घटना की जांच।	जांच की जायेगी।		दि0 31-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि मु0सं-406/2000 धारा-307 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया। घटना में सम्मिलित अभियुक्तों का पता न लगने के कारण विवेचना दि0 27-3-01 को अन्तिम रिपोर्ट समाप्त कर दी गई और अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय में प्रेषित की गई। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।	
			<b>गृह (पुलिस)-14</b>		
890/2000	23-10-2000 : अतारां0-42 श्री सीताराम निषाद- मुकदमा अ0सं0-964/299 धारा-410, 420, 467, 462 आई0पी0सी0 की थाना कैन्ट जनपद गोरखपुर में अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 26-10-99 पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।	विवेचना प्रचलित है।		दि0 31-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमें की विवेचना में सही पाये गये आरोप-पत्र मा0 न्यायालय को प्रेषित किया गया। इसमें गंगा प्रसाद मिश्र के विरुद्ध सिद्ध पाये गये और सुरेन्द्र नाथ मिश्र की शिकायत जांच के असत्य पाई गई। अभियुक्त जमानत पर है तथा अभियोग में साक्ष्य हेतु दि0 5-8-14 को डेट लगी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।	



1	2	3	4
		<b>गृह (पुलिस)-12</b>	
986/2000	23-10-2000 : अतारां0-64 श्री राम औतार शाक्य- अ0सं0-91/2000 के सम्बन्ध में पत्र सं0-सी0एम0/वि0को0/ एम-2/मैनपुरी/2000/355019 दिनांक 7-7-2000 पर कार्यवाही शीघ्र पूरी किये जाने के सम्बन्ध में।	निर्देश दे दिये गये हैं।	दि0 31-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि विवेचक द्वारा उक्त अभियोग में वाद में एफ0आर0 न्यायालय में दाखिल कर दिया है। अभियोग में प्रेषित की गई एफ0आर0 मा0 न्यायालय सी0जे0एम0 मैनपुरी के न्यायालय में केस नं0-2645/12 पर लम्बित है जिसमें दि0 13-10-14 को मा0 न्यायालय में उपस्थित होने हेतु वादी को नोटिस जारी किया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>गृह (पुलिस)-12</b>	
900/2000	23-10-2000 : अतारां0-95 श्री राम औतार शाक्य- थाना किसनी मैनपुरी में श्री सियाराम वर्मा पुत्र श्री तुलसीराम निवासी कुसमरा द्वारा पंजीकृत कराये गये अ0सं0-16/2000 एवं 171/2000 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्यवाही।	निर्देश दिये जा चुके हैं।	दि0 31-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि दोनों प्रकरणों में पुलिस द्वारा विवेचना की गई। विवेचना के पश्चात माल और मुल्जिमान का पता न लगने पर अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई जो कोर्ट ने वर्ष 2013 व वर्ष 2014 में स्वीकार की। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

453/2001	<p>4-5-01 : नियम-56  श्री राम चन्द्र यादव-  वि०स० क्षेत्र मिल्कीपुर के थाना  इनायतनगर के सामने दिनांक  24-4-01 को अराजक तत्वों  द्वारा श्री रामधनी को मारपीट कर  बुरी तरह घायल करने एवं की  गई हत्याएँ एवं लूट के सम्बन्ध में  जांच एवं दोषियों के विरुद्ध  कार्यवाही।</p>	<p>कार्यवाही की जायेगी।</p>	<p>गृह (पुलिस)</p>	<p>दि० 31-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि विवेचना में अभियुक्त  के निरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप-पत्र  दि० 8-9-2001 को मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया तथा  प्रकरण मा० न्यायालय में विचाराधीन है। समिति ने उक्त से  संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।</p>
454/2001	<p>4-5-01 : नियम-56  रेवती थाना क्षेत्र ग्राम  शिवालगढ़िया (बलिद) में दिनांक  7-4 को श्री दशरथ मल्लाह की  हुई हत्या के अभियुक्तों एवं दोषी  पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जांच  एवं कार्यवाही।</p>	<p>कार्यवाही की जायेगी।</p>	<p>गृह (पुलिस)</p>	<p>दि० 31-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि दशरथ मल्लाह की मृत्यु  पुलिस मुठभेड़ में हुई थी और इसमें कोई पुलिस अधिकारी  दोषी नहीं पाया गया। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को  ड्राप किया।</p>

1	2	3	4
		<b>गृह (पुलिस)-3</b>	
658/01	14-5-01 : अतारां0-52 मा0 प्रदीप कुमार बालियान, स0वि0स0- जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन में पंजीकृत मुकदमा सं0-21/99 के अभियोग की पुनः निष्पक्ष विवेचना के सम्बन्ध में दिये निर्देश पर कार्यवाही।	निर्देश थाना प्रभारी को दिये गये हैं।	दि0 31-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि पुनः विवेचना के बाद भी आरोप-पत्र सही पाये गये। अभियुक्तों के खिलाफ और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी सप्लीमेंटरी चार्जशीट सम्मिट की गई। वर्तमान में उक्त वाद मा0 न्यायालय, ए0सी0जी0एम0 द्वितीय न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर में विचाराधीन है। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		<b>गृह (पुलिस)-12</b>	
661/01	14-5-01 : अतारां0-62 श्री श्रीराम पाल, स0वि0स0- अपराध की प्रकृति बदल कर आशाराम पाल पुत्र श्री होरी लाल के सम्बन्ध में थाना किसनी में पंजीकृत मु0अ0सं0-214/2000 की विवेचना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 31-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि केस की जांच सी0वी0सी0आई0डी0 से वापस लेकर स्थानीय पुलिस को सुपुर्द कर दी गई। स्थानीय पुलिस ने विवेचना के पश्चात् आरोप-पत्र श्री आशाराम के खिलाफ कोर्ट में पेश कर दिया गया। कोर्ट ने विचारोपरान्त उसे दोषमुक्त कर दिया। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

#### गृह (पुलिस)-14

663/01

14-5-2001 : अतारां0-71  
श्री राम चन्द्र यादव, स0वि0स0-  
थाना खण्डासा में अहस्तक्षेपीय  
अप0 सं0-77/2000 के  
अभियुक्तों के विरुद्ध धारा-116  
(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत  
कार्यवाही।

कार्यवाही की जा रही है।

दि0 31-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि धारा-116 (3) दण्ड  
प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा रु0 30,000/-, रु0  
30,000/- की धनराशि से दि0 1-1-2001 को विपक्षीयों  
को पाबन्द कर दिया गया। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन  
को ड्राप किया।

#### गृह (पुलिस)-4

669/2001

14-5-01 : अतारां0-86  
श्री श्रीराम पाल-  
जनपद जालौन उरई की कोतवाली  
कालपी के ग्राम मटरा में अनु0  
जाति के लोगों के साथ हुई  
मारपीट की जांच तथा दोषी  
अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध  
कार्यवाही।

कार्यवाही की जायेगी।

दि0 31-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि दोषी पाये गये  
अधिकारियों/कर्मचारियों को कठोर चेतावनी देकर दण्डित किया  
जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को  
ड्राप किया।

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
670/2001	14-5-01 : अतारां0-87 श्री सिंहासन सिंह- जनपद गाजीपुर के बारा गांव में साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने के उद्देश्य से मजार को क्षतिग्रस्त करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-71/2001 की विवेचना की कार्यवाही।	गृह (पुलिस)-11 विवेचना प्रचलित है।	दि0 31-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि अभियोग की थाना-गहमर द्वारा की गई विवेचना में किसी अपराधी का नाम प्रकाश में नहीं आया तथा अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई। मा0 न्यायालय द्वारा एफ0आर0 वर्ष 2003 में स्वीकृत की जा चुकी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
142/2011	8-8-11 : नियम-56 श्री अवधेश प्रसाद- जनपद फैजाबाद में कतिपय ग्रामों के महिलाओं के साथ बलात्कार एवं हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।	गृह (पुलिस)- जल्द से जल्द इसमें कार्यवाही होगी।	दि0 31-7-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि तीनों घटनाओं की जांच की गई और चार्जशीट सम्बन्धित न्यायालय में अंडर ट्रायल है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

### गृह बीजा-3

231/2010

9-8-2010 : अतारां0-37

प्रयास किये जा रहे हैं।

डा0 अनिल चौधरी-  
जनपद महामाया नगर में बीजा  
पर आए पाकिस्तानी नागरिकों की  
खोज की कार्यवाही।

दि0 27 मार्च, 2014 की बैठक में साक्ष्य के दौरान पर  
विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि तीन पाकिस्तानी  
नागरिक जो वर्ष 1960, 1962 तथा 1963 में यहां बीजा पर  
आये थे, के स्थानीय पते तथा उसके आस-पास के पड़ोसियों  
से सम्पर्क करने पर कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई। समिति ने  
इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि इसकी  
जिम्मेदारी किसी गजटेड आफिसर को दी जाय तथा तीन महीने  
में इसकी मानेटरिंग करके एक्शन टेकेन रिपोर्ट से समिति को  
अवगत कराया जाय।

### चिकित्सा शिक्षा-2

33/98

28-1-99 : अतारां0-116

विचाराधीन है।

श्री विजय पाल सिंह-  
स्व0 डा0 मुश्ताक अहमद खां  
चिकित्साधिकारी अदलाहट जनपद  
मिर्जापुर में मृतक आश्रित की  
नियुक्ति के सम्बन्ध में।

दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सरकारी सेवक  
के मृतक आश्रित द्वारा मृत्यु के 5 वर्ष के अन्दर आवेदन  
करना चाहिये। परन्तु 5 वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद मृतक  
आश्रित के रूप में श्री इरशाद खां के आवेदन-पत्र प्रस्तुत  
करने के कारण कार्मिक विभाग की राय के अनुसार  
सेवायोजित करना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
---	---	---	---

### चिकित्सा शिक्षा-3

4/99	10-2-99 : तारां0-12 श्री दीपलाल भारती- संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में एनीमल हाउस का निर्माण।	विचार किया जायेगा।	दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि एनीमल हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और वह एक्टिवेट भी हो गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
------	--	--------------------	--

### चिकित्सा शिक्षा-2

16/99	10-2-99 : अतारां0-50 श्री अफजाल अहमद- निदेशालय में तैनात वरिष्ठ लिपिक एवं उनके सगे सम्बन्धी की फर्जी नियुक्ति के सम्बन्ध में सचिव चिकित्सा शिक्षा को सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 30-7-98 पर कार्यवाही।	जांच पूरी करा ली जायेगी।	दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री महेश कुमार अग्निहोत्री, तत्कालीन वित्त नियंत्रक आयुर्वेद सेवायें, लखनऊ को ब्रांच अधिकारी नामित किया गया था, जिनके द्वारा प्रेषित जांच आख्या में मा0 विधायक द्वारा की गई शिकायत सही नहीं पाई गई। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
-------	---	--------------------------	---

### चिकित्सा शिक्षा-3

28/99 10-2-99 : अतारां0-89  
श्री इन्द्रजीत सरोज-  
एम0जी0पी0जी0आई0 अस्पताल  
लखनऊ के डाक स्तर के पद पर  
कार्यरत श्री राम दुलारे पुत्र श्री  
दुर्गा प्रसाद की शिक्षा योग्यता एवं  
जन्म तिथि की जाली प्रमाण-पत्र  
के आधार पर भर्ती की जांच।

कार्यवाही की जायेगी।

दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री राम दुलारे  
पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद की शैक्षिक योग्यता एवं ट्रांसफर सर्टिफिकेट  
प्रधानाचार्य श्रमिक जूनियर हाई स्कूल, लखनऊ के पत्र के  
अनुसार सही पाये गये और उसमें किसी प्रकार की विसंगति  
नहीं प्रतीत होती है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर  
आश्वासन को ड्राप किया।

### चिकित्सा शिक्षा-2

30/99 10-2-99 : अतारां0-100  
श्री राम प्यारे सिंह-  
आयुर्वेदिक शिक्षकों का पदनाम  
डिमास्ट्रेटर से लेक्चरर किये जाने  
पर विचार।

प्रकरण विचाराधीन है।

दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जितने भी  
डेमास्ट्रेटर के रूप में कार्यरत थे उनको लेक्चरर का पदनाम दे  
दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को  
ड्राप किया।

### चिकित्सा शिक्षा-3

156/99 17-2-99 : तारां0-12  
श्री लाल सिंह वर्मा-  
पी0एच0डी0 चिकित्सकों को शोध  
हेतु पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराने  
के सम्बन्ध में।

विचार किया जायेगा।

दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि एनीमल हाउस  
बनकर तैयार हो गया है और इसको एक्टिवेट भी कर दिया  
गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप  
किया।



1	2	3	4
---	---	---	---

#### चिकित्सा शिक्षा-2

161/99

17-2-99 : अतारां0-19  
श्री हरदेव सिंह-  
आयुर्वेदिक यूनानी निदेशालय  
उ0 प्र0 के वरिष्ठ लिपिक श्री  
ओम प्रकाश तिवारी तथा अन्य के  
सम्बन्ध में मा0 विधायक अफजाल  
अहमद के शिकायती-पत्र पर  
जांच।

कार्यवाही की जायेगी।

दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि शिकायती-पत्र की  
जांच कराई गई जिसमें आरोप सिद्ध नहीं पाये गये और  
उनको दोषमुक्त कर दिया गया।

समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

#### चिकित्सा शिक्षा-4

174/99

17-2-99 : अतारां0-101  
श्री हरदेव सिंह-  
जनपद मऊ के राजकीय  
होम्योपैथिक चिकित्सालयों के  
अधिकारियों/कर्मचारियों के समस्त  
देयों का भुगतान।

भुगतान कर दिया जायेगा।

दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद मऊ में  
राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों  
के अवशेष देयकों का भुगतान मार्च, 1999 में आर्वाटित राशि  
से कर दिये गये हैं। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को  
ड्राप किया।

## चिकित्सा शिक्षा-2

352/99	24-2-99 : अतारां0-44 श्री छोटे लाल गंगवार- राजकीय यूनानी चिकित्सालय नवाबगंज (बरेली) का भवन किराया भवन मालिक को भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	भुगतान किया जायेगा।	दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि राजकीय यूनानी चिकित्सालय बरेली के किराये का भुगतान कोषागार, बरेली के चेक संख्या-ए ए 460453 दि0 31 मार्च, 1999 के द्वारा भवन मालिक श्रीमती सलमा बेगम को रु0 170,000/- किराये का किया जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
367/99	24-2-99 : अतारां0-104 श्री लालमणि प्रसाद- आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति।	प्रकरण विचाराधीन है।	दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वर्ष 2009 में कुल 709 चिकित्साधिकारी तथा वर्ष 2011 में कुल 422 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
878/2001	17-5-01 : बजट चर्चा एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 के डेवलपमेन्ट के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि एस0जी0पी0जी0आई0 के विकास हेतु जापान सरकार की सहायता से विकसित करने हेतु रु0 2777.69 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था। जिसके सापेक्ष भारत सरकार से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई। संस्थान का विकास राज्य सरकार एवं पी0एम0 एस0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के आधार पर किया जा रहा है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
			<b>चिकित्सा शिक्षा-</b>
880/2001	17-5-01 : बजट चर्चा आयुर्वेद चिकित्सालयों के रिक्त पदों पर तैनाती के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पंजीकरण शुल्क के सम्बन्ध में जो व्यवस्था है उसकी 50 प्रतिशत धनराशि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्णयानुसार व्यय की जा रही है। राजकीय यूनानी महाविद्यालय लखनऊ का वर्ष 2011 में भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है व वहां पर प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित रिक्त पदों पर चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के द्वारा की जा चुकी है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
			<b>चिकित्सा शिक्षा-</b>
16/2002	23-5-02 : नियम-51 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी- सम्पूर्ण प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों के पंजीकरण व भारतीय चिकित्सा परिषद् के शासन के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन अभी एक ही बार होता है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् का चुनाव वर्ष 2004 में पूर्ण करा दिया गया है। आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के 17047 मृत चिकित्सकों एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के 5772 मृत चिकित्सकों का नाम पंजीकरण सूची से निकाल दिया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

#### चिकित्सा शिक्षा-4

445/2004

17-11-04 : अतारां0-16

नियुक्तियां की जायेंगी।

श्री संजय प्रकाश अग्रवाल-  
राज्य में होम्योपैथिक मेडिकल  
कालेजों में शिक्षकों के पद पर  
नियुक्तियां किया जाना।

दि0 11-10-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर  
विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सभी रिक्त पदों  
पर भर्तियां की जा चुकी हैं। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर  
आश्वासन को द्राप किया।

---

1	2	3	4
---	---	---	---

---

